

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1979

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 7 मार्च, 1979

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)28
वर्ष 1979-80 का बजट पेश करना	(6)47

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 7 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Introducing lottery system of auctioning country vends

***1051. Ch. Har Swarup Bura:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state:-

(a) whether Government has suffered loss or gained profit by introducing lottery system of giving contract of country liquor vends in the State; and

(b) If loss suffered, whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the existing lottery system, if so, the details thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) देसी भाराब से राजस्व में कमी हुई है किन्तु यह सारी कमी भाराब की दुकानों के आवंटन के लिए लाटरी प्रणाली आरम्भ करने के कारण नहीं हुई हैं। राजस्व में हानि 1-4-1978 से मद्य निशोध के क्रमिक कार्यक्रम के क्रार्यान्वयन के फलस्वरूप हुई है।

(ख) अब सरकार ने 1979-80 वर्ष के लिए नीलामी प्रणाली के उसी आधार को अपनाने का निर्णय किया है जो 1977-78 में प्रचलित थी।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन पंचायतों के रेजोल्यूशन आ चुके हैं कि वहाँ पर भाराब का ठेका नहीं होना चाहिए, क्या उन रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लीकर वैंडज को बन्द करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी भोर सिंह: इस सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि जो पंचायतें रेजोल्यूशन पास करके भेजती हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर दुकानें बन्द कर दी जाती हैं लेकिन इससे पहले कि बन्द करें, डिस्ट्रिक्ट आफिसर से रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि वहाँ पर नाजायज भाराब तो नहीं निकाली जाती। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक अप्रैल से नए ठेके भारू हो जाते हैं पंचायत से रेजोल्यूशन आने के बाद, डिस्ट्रिक्ट आफिसर से

रिपोर्ट मंगवाने के लिए हमें थोड़ा सा पीरियड मिल जाए तो एक अप्रैल से पहले ठेके बन्द किए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या आपका मतलब यह है कि नई औकान होने से पहले रेजाल्यू आना चाहिए ?

चौधरी भोर सिंह: रेजाल्यू आने और एक अप्रैल के बीच इतना समय जरूर मिलना चाहिए जिससे हम डिस्ट्रिक्ट आफिसर से वैरिफिकेशन करवा लें।

श्री भामोर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि लाटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की वजह से सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस पालिसी से कितना घाटा हुआ है, यह सवाल नहीं है। हम पिछले साल की फिगर से कम्पेरिजन कर सकते हैं। पिछले साल 1977-78 में 58 लाख पूफ लिटर भाराब उठनी थी लेकिन प्रोहिबिशन की पालिसी के तहत 20 परसेंट कट लग गई जिसके कारण 4640000 पूफ लिटर भाराब बिकी। इस साल 13-1-1979 तक 3866660 पूफ लिटर भाराब बिकनी चाहिए थी लेकिन बिकी है 3279026 पूफ लिटर। यानी 137500830 रूपये का रैवेन्यू आना चाहिए था लेकिन आया 109168680 रूपये और इस तरह से 28332150 रूपये का घाटा हुआ है।

श्री भाम ार सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल को समझा नहीं है। मेरा सवाल यह था कि लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने से सरकार को कितना लौस हुआ है, पहले औक् ान हुआ करती थी और बाद में लाटरी सिस्टम लागू कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को चेंज करने से सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

Mr. Speaker: I think he has tried to answer it to the best of his capability. ये मानते हैं कि लौस है, लेकिन यह लौस लाटरी सिस्टम के कारण है या प्रेहिबि ान के ग्रेजुअली इन्ट्रोडक् ान के कारण है, इन दोनों के बीच का हिसाब लगाना मु् कल है।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, राजस्थान के साथ जो हरियाणा का एरिया लगता है, जैसे महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव का एरिया है, यहां पर राजस्थान से हरियाणा में बहुत भाराब आती है। क्या सरकार इस स्मगलिंग को रोकने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भाम ार सिंह: छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं और हम उनको रोकने की पूरी को् ा ा करते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने चौधरी भाम ार सिंह के प्र ान के उत्तर में बताया कि इतने पूफ लिटर भाराब उठी। अगर उनके आंकड़ों के अनुसार 20 परसेंट प्रोहिसबी ान की वजह से लौस निकाल दे तो काफी लौस बनता

है ? क्या यह लौस लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस होने की वजह से हुआ है या इल्लिसिट डिस्टिले इन की वजह से हुआ है ।

श्री भाम ार सिंह: पिछले साल भी सै इन में यह सवाल आया था और मैंने इसका जवाब भली प्रकार दिया था । टोटल 518 दुकानों में से 123 दुकानों को बन्द करने के लिए रेजालयू इन मन्जरू किए गए । बाकी जितनी दुकानें बची है उनमें से 73 दुकानों के लिए किसी आदमी ने लाटरी नहीं डाली, 5 दुकाने इन्टर स्टेट बार्डर पर होने की वजह से बन्द कर दी आ । 26 दुकानों की फीस जमा नहीं हुई । घाटा होने का कारण यह है कि जितनी दुकानें पहले थीं उतनी अब नहीं है । जब दुकानें ज्यादा थीं तो 38 लाख पूफ लिटर भाराब उठी और बन्द होने से 32 लाख पूफ लिटर बिकी ।

Ch. Birinder Singh: This is not the answer to my question.

श्री अध्यक्ष: मेरे खयाल में मंत्री जी ने जवाब देने की पूरी कोशिश की है । उन्होंने बताया कि पिछले साल दो करोड़ का घाटा हुआ । और वह दो करोड़ का घाटा न गबन्दी लागू होने की वजह से हुआ है या लाटरी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस होने से हुआ है, it can not be distinguished. I think, he has given a very good answer.

Ch. Birinder Singh: There is a drop of 40% in revenue. If it is due to prohibition policy then it should have been only 20% and not forty percent.

श्री भाम रेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि लाटरी सिस्टम के इन्ट्रोड्यूस होने से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने कहा है 'हुआ है'। घाटा होने का कारण यह भी है कि 123 दुकानें कम कर दी गईं, 73 दुकानें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी ने लाटरी नहीं डाली और 6 दुकानें वार्डर पर होने की वजह से बन्द कर दी गईं। इसके इलावा 26 दुकानों की फीस जमा नहीं हुई। हमें 31-1-1979 तक 38 लाख पूफ लिटर भाराब उठान चाहिए थी लेकिन दुकानें कम होने की वजह से भाराब कम बिकी और यह घाटा हुआ है।

श्री रण सिंह मान: लाटरी प्रणाली लागू होने से जो हानि हुई है, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री भाम रेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब पालिसी बनाई गई उस वक्त सरकार के विचाराधीन यह प्र न था कि भाराब के ठेके कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में रह गए हैं। इस प्रणाली को खत्म करने के लिए सरकार ने एक्सपैरिमेंटल बेसिज पर यह लाटर सिस्टम लागू किया ताकि मनोपली न हो और दूसरे लोगों के पास ठेके चले जाएं। इस साल हर एक ठेके को अलग अलग नीलाम किया जाएगा।

श्री जय नारायण वर्मा: क्या कराधान मंत्री कृपया बताएंगे कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो ब्यक्ति है, चाहे वे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे लीडर हैं, वे पब्लिक प्लेस पर भाराब पीकर न घूमें, इस विशय पर क्या सरकार ध्यान देगी ?

चौधरी भोर सिंह: इस सप्लीमेंटरी का मूल सवाल के साज़्ज कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्वै चन आवार है, इसमें स्टेटमेंट देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, भाराब के सवाल तक ही सीमित होना चाहिए। (व्यवधान)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि जहां पर इल्लिसिट भाराब निकलती है वहां पर ठेके बन्दर करने की प्रणाली पर विचार नहीं यिका जाएगा लेकिन मुि कल से एक या दो आदमी होते हैं जो नाजायज भाराब निकालते हैं। इन दो आदमियों की वजह से सबको नुक्सान नहीं होना चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और ठेके बन्द करेगी ?

चौधरी भोर सिंह: चार साल में पूरी न ाबन्दी की जाएगी। फिलहाल जहां पर ऐसी जगह हैं जहां आस पड़ोस में नाजायज भाराब बिकती है, हम ठेका रखते हैं, लेकिन अगर एक

दो आदमियों की वजह से ठेका खुला हुआ है तो अगले साल ऐसे ठेके बन्द कर दिए जाएंगे।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, यहां पर कहा गया है it is not in good taste. इसको एक्सपंज करवा दिया जाए।

डाक्टर मंगल सैन: सभी तो नहीं पीते, सारे क्यों मारे जाएं ?

श्री देवेन्द्र भार्मा: मैंने सबका नहीं कहा, कुछ की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इसको जनरेलाईज नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र भार्मा: मैं आपके कहे बगैर ही अपने भाब्द वापिस ले लेता हूँ।

Mr. Speaker: Those remarks should be expunged.

लाला बलवन्त राय तायल: स्पीकर साहब, एम.एल.ए. होस्टल में दो तीन दिन से तमा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्वै चन तक ही सीमित रहें। एम.एल.ए. होस्टल में अगर कोई बात है तो अफसोस की बात है और मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरे चैम्बर में मिल लें या मुझे लिखित रूप में दे दें।

लाला बलवन्त राय तायल: कुछ मैम्बर साहिबान ने भी कहा है और मैं भी आपको कह रहा हूँ (व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, श्री देवेन्द्र भार्मा को यहां हाउस में नाम लेना चाहिए कि

श्री अध्यक्ष: यह क्वै चन आवर है। इसमें नाम पूछने की आव यकता नहीं है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, पिछले साल सरकार ने पालिसी बनाई थी कि भाराब के ठेकों पर से मनोपली खत्म की जायेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एल-वन और एल-टू भाराब के ठेकों को दुबारा नीलाम करने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि उनकी मनोपली खत्म हो सकें ?

चौधरी भोर सिंह: सभी ठेकों की औक् ान करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहब ने सवाल यह किया है कि क्या मनोपली तोड़ने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है ?

चौधरी भोर सिंह: मनोपली तोड़ के लिए पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): पिछली दफा जो घाटा पड़ा है उसको देखते हुए हमने बोली कराने का फैसला यिका है। हम मनोजली सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले

भी बयान किया जा चुका है कि तजुर्बे के तौर पर सिस्टम को चेंज किया था लेकिन उस सिस्टम से घाटा पड़ा है। उस घाटे को देखते हुए पासी चेंज कर दी गई है। इस बार एक-एक ठेका नीलाम होगा ताकि मनोपलिस्ट बोली दे कर ज्यादा दुकानों पर कब्जा न कर जायें।

इसके साथ साथ में यह भी हाउस को बताना चाहता हूँ कि जो एल-वन और एल-टू की दुकानें अलाट होती थी वे चाहे बाहरों में है या दूसरी जगहों पर हैं उनके बारे में पहले ही फैसला ले लिया है कि सारी नीलाम होंगी।

श्री फतेह चन्द विज: मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हं कि जब भाराबबन्दी को लागू करने के लिए पिछले साल नीलामी सिस्टम को खत्म किया गया था तो फिर से यह सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का पहले ही जवाब आ चुका है।

चौधरी रिजक राम: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि भी कोई दुकान का प्रबन्ध किया जाएगा ?
(हंसी)

चौधरी पीर चन्द: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गांवों से रेज्योल्यू इन पास कर देने के बाद ठेका बन्दर कर दिया जाता है। तो क्या इसी प्रकार से बाहर वाले

भी अगर रेज्योल्यूशन पास करके दे दें तो क्या वहां भी ठेका बन्द कर दिया जायेगा ?

चौधरी भोर सिंह: इस बार हम 40 परसेंट इंडियन मेड फारन लीकर के ठेके घटा रहे हैं और वे भाहरों में ही होंगे ।

स्वामी आदित्यवेत: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नीलामी के दिनों में ठेके वाले प्रचार करते हैं कि 'पीओ और जीओ' क्या इस एडवरटाइजमेंट को बन्द करने का विचार किया जा रहा है ?

चौधरी देवी लाल: यह सुझाव पहले ही मंजूर कर चुके हैं ।

Resources of Irrigation

***1044. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the steps which are being taken by the Government for increasing the resources of Irrigation in the State;

(b) the arrangements made by the Government for providing more water for Irrigation purposes in the canal outlets working at present; and

(c) whether there is any proposal to widen the outlets; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialised?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) सरकार राज्य में निम्नलिखित सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए पग उठा रही है:-

1. अवर्धन तथा सीधे सिंचाई नलकूपों का लगाना।
2. नहरों को पक्का करके पानी का संरक्षण।
3. खालों को पक्का करके पानी का संरक्षण।
4. सप्रिंकलर सिंचाई द्वारा पानी का संरक्षण।
5. यमुना नदी, ड्रेनों तथा उप नदियों के बाढ़ के पानी का प्रयोग।
6. हरियाणा के भाग के रावी ब्यास के फालतू पानी के लाने के लिए सतलुज-यमुना लिंक का निर्माण और
7. भूमि के ऊपर तथा नीचे नये जल भंडारों का बनाना तथा वर्तमान जल भंडारों की क्षमता को बढ़ाना।

(बी) जो अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा उसे वर्तमान सिंचाई प्रणाली में वर्तमान कैपेसिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जैसे कि सिंचाई नहरों को अधिक दिनों

के लिए चलाने और कोई खास प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी कुछ स्थानों पर नहरों तथा मोघों में परिवर्तन करना पड़ेगा।

(सी) नहीं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किसी आउटलैट को एक एस.डी.ओ. और ओवरसीयर के बदल जाने पर डिस्ट्रब क्यों कर दिया जाता है और अगर वह भी बदल जाता है तो फिर अगले वाला डिस्ट्रब कर देता है। क्या कोई ऐसी पालिसी बनायी जायेगी कि ओवरसीयर और एस.डी.ओ. के बदलने पर उस मोघे को डिस्ट्रब न किया जाये और उसके लिए टाईम मुकर्रर कर दिया जाये कि इतने दिन बाद डिस्ट्रब किया जायेगा क्योंकि मोघे पर रकबा बढ़ता घटता नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तय हुआ पालिसी है कि जिस कैपसिटी का आउटलैट हो, उसी कैपेसिटी के हिसाब से उसका साइज होता है। मेरे माननीय सदस्य कोइ ऐसी बात मेरे नोटिस में नहीं लाये कि एस.डी.ओ. और ओवरसीयर के बदल जाने पर उसका साइज या डिजाइन तबदील कर दिया गया हो यानी घटा दिया गया हो या बढ़ा दिया गया हो। अगर मेरे नोटिस में लायेंगे तो एक न लिया जायेगा।

श्री भले राम: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रोहतक और सोनीपत के इलाके में बसी लाल की सरकार के टाईम पर पानी पर चालीस परसेंट कट लगा दी गई थी, क्या उस कट को बहाल करने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: उस कटौती को एग्जामिन किया जा रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जायेगा।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले राज में करनाल जिले में जिन मोघों को ऊंचा और छोटा कर दिया गया था, क्या उनको फिर से पूरा पानी देने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: हरियाणा के सभी मोघों को दुबारा चैक करवाया गया है लेकिन फिर भी किसी इलाके में ितकायत है तो दुबारा चैक करवायेंगे।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो टैम्परेरी राइस सूट्स दिये जाते हैं वे 20 एकड़ के लिए दिये जायें तो भी दस एकड़ को भी पानी नहीं देते हैं, यह हर इंजीनियर और एस.डी.ओ. को पता है, क्या उनके साइज को बड़ा करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस बात को एग्जामिन करवा लेंगे कि जितने रकबे के लिए राइस सूट्स दिया जाता है उतने को पानी

लगता है या नहीं। एग्जामिन करने के बाद उसी साइज का मोघा लगाया जायेगा।

चौधरी भाग मल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूँ कि अम्बाला जिले में िवालिक पहाड़ियों के फुट स्टैप्स पर जो स्केटर्ड गांव है वहां पर न तो डीप ट्यूबवैल्ज लग सकते हैं और न ही नहर का पानी लग सकता है, क्या वहां पर डैम बना कर पानी देने पर विचार किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: यह बिल्कुल अलग सवाल है।

श्री गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, पानी बढ़ाने का जो तरीक मंत्री महोदय ने फरमाया है इससे जो लोग टेल पर हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। क्या मंत्री जी बताएंग कि टेल पर लगने वाले इलाकों के लिए पानी में बढ़ावा देने का भी वे कोई तरीका सोच रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सब माईनर्ज की, सब कैनाल्ज की और सारे वाटर कोर्सिज की लाइनिंग की जा रही है। यह काम पूरा हो जाने के बाद टेल पर पानी न पहुंचने की समस्या खत्म हो जाएगी।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, पंजाब से जो रजबाहे और मोघे हरियाणा की तरफ आते हैं उनका पानी हरियाणा में पहुंचते-पहुंचते काफी कम हो जाता है और टेल पर

पहुंचते पहुंचते तो उनमें कुछ नहीं रहता। क्या मंत्री जी बातएंगे कि उनका भी कुछ प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: माननीय सदस्य यदि कोई खास बात नोटिस में लाएं तो उसका अवयव प्रबन्ध करेंगे।

चौधरी ई वर सिंह: मैंने तो लिख कर भी दिया था

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुझे तो नहीं दिया।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं एक बात मंत्री जी के नोटिस में लाया था कि रिवाड़ी खेडा और डेसलपुर में नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगा बल्कि फ्लड का पानी आने के बाद वहां धान की भाकल का पटेरा अपने आप ही उग गया लेकिन इनके महकमें वालों ने उसे धान समझ कर लोगों के जिम्मे उगाही लिख दी। क्या मंत्री जी उसकी इंकवायरी कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष: अलग मिलकर आप उनसे बात कर लें।

चौधरी उदय सिंह दलाल: मैंने इन्हें यह बात बताई थी लेकिन अलग मिलकर बात नहीं बनी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह मेरे से नहीं मिले, भायद प्रीत सिंह जी से मिले होंगे। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: मैं बीरेन्द्र सिंह जी से ही मिला था और इन्हें बताया था कि रिवाड़ी खेड़ा और डेसलपुर में नहरी पानी बिल्कुल नहीं लगा।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, जहां लिफ्ट स्कीम्ज हैं, वहां पर जब नहर का पानी आता है तो बिजली बन्द हो जाती है और परिणामस्वरूप पानी इकट्ठा होकर के नहर से ओवरफलों हो जाता है तथा चारों तरफ सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी भर जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और फसल नष्ट हो जाती है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जुई के पास लोहानी, साहड़वा और रिवासा कई जगह ऐसी है, जहां ओवर फलो हो जाता है, क्या इस ओवरफलो को रोकने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ? अगर नहीं तो इस को यूटिलाइज करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सवाल बहुत अच्छा हैं। यह प्रोब्लम भिवानी में बहुत है। (विघ्न) महेन्द्रगढ़ में, जोकि भिवानी के साथ लगता हुआ ही है वहां भी यह प्रोब्लम खास तौर पर है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैंने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अफसरान को यह हिदायत दी है कि बिजली की कमी के कारण जो ओवरफलो हो जाता है उसका कोई न कोई प्रबन्ध करो और हम बहुत जल्दी ही यह प्रबन्ध करने जा रहे हैं। (विघ्न)

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उजीना डाइव रिन ड्रेन का भारी मात्रा में जो पानी जमुना में गिरता है, क्या उसे सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने की कोई योजना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: उजीना डाइव रिन ड्रेन के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम एक नई बात चालू करने जा रहे हैं। हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में पहली बार जमीन दोज रिजर्वायर्ज बनेंगे। इस स्कीम के तहत जितनी भी ड्रेन्ज हैं, उनका जितना पानी हम कंजर्व कर सकेंगे, किया जाएगा और उसे आबपा नी के काम में लाया जाएगा।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, आपको मारफत में मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि ये एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज हैं और जिनकी बाबत पिछली सरकार ने यह फैसला किया हुआ है कि सरकार हर ट्यूबवैल के लिए चार हजार फुट नाली देगी और जमींदार अपनी नाली नहीं लगा सकते, क्या इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मूल प्रश्न से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन चार हजार फुट से आगे नाली यदि जमींदार बढ़वाना चाहते हों तो उनको खुली छूट है कि वे अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं।

चौधरी लाल सिंह: पैसे कौन देगा ? (विघ्न)

Roads taken up for construction

***1027. Roa Ram Narain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) the total number of roads taken up for construction by the Government after the formation of Janata Government in the State;

(b) the district-wise and constituency-wise kilometres of roads constructed so far;

(c) the district wise and constituency-wise total expenditure incurred on the roads as referred to in part(b) above; and

(d) whether it is a fact that the construction of Gurgaon-Bahadurgarh road via Chandu-Badli has not been completed so far; if so, the reasons thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) 31-1-79 तक 1021 सड़कें ।

(ख) एंड (सी) वांछित सूचना का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(डी) हां, जी। सड़क भूमि न अभिग्रहण करने तथा ड्रेन नम्बर 8 पर पुल बनाने के कारण पूरी नहीं हो सकी।

Statement

Statement showing District-wise and Constituency-wise Kilometres of roads constructed and the expenditure incurred during the Janata Government period i.e. from June 1977 to January, 1979.

Sr. No.	Name of District/ Constituency	Length of Road constructed in K.M.s.	Expenditure incurred (Rs. in Lacs)
1	2	3	4
Ambala District			
1	Kalka	15.50	32.26
2	Naraingarh	4.15	8.50
3	Sadhaura	16.52	12.76
4	Chhachhrauli	20.75	13.70
5	Jagadhri	2.28	7.82
6	Yamuna Nagar	6.87	4.63
7	Mullana	6.95	4.75

8	Ambala Cantt.		
9	Ambala City		0.32
10	Nagal	3.55	8.59
	Total	76.57	93.33
Karnal District			
11	Indri	18.28	17.38
12	Nilokehri	5.27	7.89
13	Karnal	5.10	0.83
14	Jundla	5.07	3.57
15	Gharounda	9.39	5.69
16	Assandh	1.10	5.86
17	Panipat	0.40	0.32
18	Samalkha	1.67	0.43
19	Naultha	2.67	10.03
	Total	48.95	51.80
Kurukshetra District			
20	Shahbad	7.96	12.53
21	Radaur	22.78	18.26
		+3.40	+2.69

22	Thanesar	16.45	14.15
23	Pehwa	9.61	18.75
24	Gulha	29.90	48.42
25	Kaithal	1.90	4.56
26	Pundri	6.77	4.67
27	Pai	1.70	3.93
	Total	100.47	128.56
Rohtak District			
28	Hassangarh		0.50
29	Kiloi		1.04
30	Rohtak		
31	Meham	0.40	0.77
32	Kalanaur	4.50	5.19
33	Beri		2.50
34	Sahlawas	6.30	9.21
35	Jhajjar		12.22
36	Badli	3.00	5.60
37	Bahadurgarh	0.70	0.67
	Total	16.75	37.66

Sonepat District			
38	Baroda	16.57	12.99
39	Gohana	5.00	4.77
40	Kailana	9.02	5.92
41	Sonepat		
42	Rai	6.75	3.65
43	Rohat	0.31	1.28
	Total	37.65	28.61
Jind District			
44	Kalayat	6.17	6.84
45	Narwana	2.90	7.68
46	Uchana	3.60	2.47
47	Rajaund	0.50	0.29
48	Jind	0.90	0.60
49	Jullana	7.84	6.15
50	Safidon	7.80	9.13
	Total	29.71	33.16
Gurgaon District			
51	Faridabad	0.70	0.96

52	Moola Maharajpur	7.12	3.93
53	Ballabgarh	9.97	6.70
54	Palwal	5.93	7.23
55	Hassanpur	22.78	21.04
56	Hathin	0.63	0.43
57	Ferozpur Jhirka		
58	Nuh	5.41	3.09
59	Taoru	7.79	8.97
60	Sohna	7.27	6.36
61	Gurgaon	0.40	0.43
62	Pataudi	4.14	3.45
	Total	72.14	62.60
Bhiwani District			
63	Badhra	11.08	6.33
64	Dadri	0.85	3.42
65	Mundhal	9.26	9.65
66	Bhiwani	4.88	8.76
67	Tosham	12.34	8.68
68	Loharu	9.98	4.13

69	Bawani Khera	11.05	11.15
	Total	59.44	52.12
Hissar District			
70	Barwala	4.75	4.49
71	Narnaund	24.44	36.86
72	Hansi	2.08	0.43
73	Bhattu Kalan	18.27	25.57
74	Hissar		
75	Ghirai		2.20
76	Tohana	14.01	11.23
77	Ratia	23.05	25.61
78	Fatehabad	3.60	3.74
79	Adampur	6.67	6.75
	Total	96.87	156.88
Sirsa District			
80	Darba Kalan	24.70	50.17
81	Ellanabad	35.97	31.44
82	Sirsa	7.20	6.31
83	Rori	49.38	48.39

84	Dabwali	33.36	33.62
	Total	150.61	169.93
Mohindergarh District			
85	Bawal	5.30	8.28
86	Rewari	13.70	11.67
87	Jatusana	14.40	8.09
88	Mohindergarh	11.66	7.96
89	Ateli	4.94	2.74
90	Narnaul	1.70	1.54
	Total	51.70	40.28
	Grand Total	744.45	854.93

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मेरा हल्का पलवल में केवल 5 किलोमीटर सड़क बनी है जबकि और जगह 40 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब पिछली दफा यह तय हुआ था कि सब जगह बराबर सड़कें बनेंगी तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, अभी कल ही आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के अन्दर अनाउंसमेंट की है कि अगल इलैक् इन से पहले हरियाणा के तमाम गांव को पक्की सड़कों से

जोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसी मैम्बर साहब को यह फिक्र नहीं होना चाहिए कि कौन सी जगह सड़कें पहले बन रही हैं। 1982 से 6 महीने हर गांव को सिंगल लिंक से जोड़ दिया जाएगा। इसमें चिन्ता की कोइ बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मेरे खयाल में मुख्य मंत्री जी की अ योरेंस के बाद इस सवाल के बारे में ज्यादा सप्लीमेंटरीज करने की गुंजाय । नहीं रह जाती।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, जो गांव सरकार की डारैक्टरी में नहीं हैं क्या उनमें सड़क नहीं बनेगी ?

श्री लछमन सिंह: ये बता दें, उनमें बना देंगे।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, साल्हावास हल्के की 6.30 किलोमीटर सड़कों की जो फिगर दी गई है यह बिल्कुल गलत है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस साल मेरे हल्के में ये कौन सी सड़कें टेक अप कर रहे हैं ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह फिगर अगर गलत है तो इसके बारे में ये मुझे अलग से मिल लें, दफतर वालों से पूछ कर इनकी तसल्ली करवा देंगे। अगर गलती होगी तो ठीक करवा दी जाएगी।

चौधरी खुर गिद अहमद: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से एक बात दरयाफत करना चाहूंगा।

गुडगांव जिले की पांच कांस्टिचुएंसीज की स्टेटमेंट हाउस की टेबल पर रखी गई है। स्टेटमेंट के सीरियल नं. 56 से 60 के अनुसार आपने केवल 15.1 किलोमीटर सड़कें बनाई है जबकि सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पांच कांस्टिचुएंसीज में 150.61 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि तवाडू कांस्टिचुएंसी के 56 विलेजिज सड़कों के साथ अनकुनैक्टिड हैं। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन कांस्टिचुएंसीज में ज्यादा गांव बाकी है उनको प्रैफरेंस दी जाएगी ?

10.00 बजे

श्री लछमन सिंह: मैं नहीं समझता स्पीकर साहब कि खुराद भाई, जो एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और जो सीधी जुबान में सवाल पूछते हैं, सी.एम. साहब ने जब यह कह दिया है कि 1982 तक सारे गांवों को पक्की सड़कों से सिंगल लिंक से जोड़ दिया जायेगा फिर भी इनको इतनी चिन्ता क्यों है ? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस बारे में उन्हें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। डेट फिक्सड है। कोई गांव आज जुड़ जायेगा तो कोई कल जुड़ जायेगा। (गोर व व्यवधान)

(इस समय बहुत से सदस्य खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष: मेरा ख्याल यह है कि मंत्री जी ने अ योरैन्स दी है और मुख्य मंत्री जी नेभी अ योरैन्स दी हुई है,

इसलिये इसमें ज्यादा सप्लीमेंट्रीज पूछने की गुजांई । नहीं है ।
(व्यवधान एवं भाोर) आर्डर प्लीज । देखिये अगर कवै चन आवर में
ऐसे होगा तो बहुत सा वक्त तो जाया होगा ही और जो बहुत
अच्छे अच्छे सवाल आगे आ रहे हैं वह रह जायेंगे इसलिए थोड़ा
सा भांति से काम लें ।

स्वामी अग्निवे 1: अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार यह है कि
आप इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्कान अलाऊ कर दीजिये ।
(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: देखिये अगर सारे मैम्बर साहेबान चाहते हैं
कि इस पर हाफ एन आवर डिस्कान हो, तो मेरे को इसमें कोई
एतराज नहीं है लेकिन

आवाजें: जब सी.एम. साहब ने कह दिया है कि 1982
तक सारे गांवों को जोड़ दिया जायेगा, तो कोई जरूरत नहीं है ।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मुझे
बोलना पड़ेगा । जो साहेबान अपने अपने हल्के की बाबत सड़कों
का सवाल उठा रहे हैं, आमतौर पर उनका उन हल्कों से कोई
वास्ता ही नहीं है । इसलिए इस बारे में पहले भी डिस्कान हो
चुकी थी और कल आपके सामने आया है कि एजुकेशन के मामले
में सिरसा जिला का क्या हाल है ? वह सबसे पिछड़ा हुआ रहा
है । इसी तरह से सड़कों के मामले में भी हमें बहुत पिछड़ा हुआ
रखा गया और ऐसा मजाक बनाया था जैसा कि मैंने पिछली दफा

भी जवाब दिया था कि कई जगह पर जाने के लिए अगर 3-3, 4-4 मील का फासला पूरा कर दिया जाता तो 30-30 मील की बचत हो जाती। तो चौधरी भजन लाल जी की मेहरबानी से मुझे वह दुक्ष उठाना पड़ा था। इस तरह से मेरे हल्के में एक अढ़ाई मील का एक टुकड़ा बनाने से जो भट्टू से फतेहाबाद होकर हिसार सड़क जाती थी, 30 मील का फासला कम हो गया है। उससे 30 मील का सफर जो पहले करना पड़ता था, वह अब बच गया है। वह एक मिसिंग लिंक था। इसी तरह से जंगवाड़ा से गंगा सागर साढ़े तीन मील का टुकड़ा था। मैंने सभी चीफ इंजीनियर्स से कोर्पोरेशन करके देख ली थी। लगातार 15 साल मेरी कोर्पोरेशन होती रही लेकिन वह पूरा नहीं हो सका था। अब वह अढ़ाई साढ़े तीन मील का टुकड़ा बन जाने से 25 मील का फासला कम हो गया है। अब डबवाली से होकर सिरसा जाने की बजाये आप सीधा सिरसा जा सकते हैं। इसी वास्ते मैंने अब यह एलान कर रखा है कि सड़कों की बाबत मेरा यह फैसला है कि किसी हमारे आदमी को आप वोट न दें, अगर वह कार में न आये। इसलिये सिवाये इसके कि हाउस का टाईम वेस्ट हो, मेरा ख्याल है इसमें कोई सैन्स नहीं है।

Construction of link roads in Jhajjar Constituency

***1058. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Public Work be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to construct link roads in Jhajjar Assembly Constituency; if so, the details thereof together with time by which these are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): हां जी, सड़कों का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इनके निर्माण के लिए समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Statement

Detail of roads proposed to be constructed in Jhajjar Constituency

Sr. No.	Name of Road	Total Length	Balance Length in Kms. on 31-1-79
1	2	3	4
1	Gudiyani to Ahmadpur Partal	2.70	1.70
2	Newla to Usmanpur	1.50	1.00
3	Chhuchakwas to Koyalpuri	8.00	
4	Ahir to Chhapr	6.15	3.95
5	Jhajjar Chhuchakwas	2.00	2.00

	road to Kheri Hoshiarpur		
6	Dawala Karodha to Rankhanda	1.50	1.50
7	Subana to Sarola	2.50	2.50
8	Koyalpuri to Chandwana	2.50	2.50
9	Shahjannpur approach road	0.31	0.31
10	Fatehpuri to Kanwa	0.50	0.50
11	Hassanpur to Kunjia	2.70	2.70
12	Diwala to Karoda	5.10	5.10
13	Bindawas drain to Fatehpuri Bridge	5.50	5.50
14	Bindawas drain to Bilochpura	2.80	2.80
15	Usmanpur to Kahnari	1.25	1.25
16	Gawalson to Taloo	3.90	3.90
	Total	48.91	37.21

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जो लिस्ट इन्होंने दी हैं, उसके अलावा भी मंत्री महोदय जो मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में वायदा करके आये हैं कि छूछकवास से भिडंरवास तक, कहौरी से छपार व तालाब से गवाली तक, सड़कें जल्दी बनायेंगे, तो क्या उन सड़कों को बनाने के लिए कार्यवाही करेंगे या कर रहे हैं ?

श्री लछमन सिंह: जी हां, जहां—जहां वायदा करके आये हैं, वहां पर जरूर बनायेंगे।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य सवाल पूछने के लिए खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: देखिये, इस विषय में हम काफी से ज्यादा टाईम लगा चुके हैं और जब तमाम मैम्बर साहेबान को चीफ मिनिस्टर साहब ने यह आ वासन दिलाया है कि वहां पर सड़कें अब य ही 1982 तक बना दी जायेंगी, तो इस पर बहुत ज्यादा टाईम जाया नहीं करना चाहिए।

Construction of Roads

***1048. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government intends to construct roads from Ellenabad to village Thobria, Rania to village Jhovar via village Sultanpuria and from Rania to Tharji

Satnam Singh on which the earth work has been done by the people themselves together with the time by which these are likely to be consructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): इन सड़कों को बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, एक सप्लीमेंट्री मुझे पूछ लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल के ऊपर तो बहुत से सप्लीमेंट्री मुझे पूछ जा चुके है ।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल रैलेवैन्ट सवाल पूछूंगा ।

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी, यह सवाल चौधरी भागी राम का है और उनकी कांस्टीच्यूएँसी से ताल्लुक रखता है । इसमें कोई सप्लीमेंट्री पूछने की गुजाँई । नहीं है ।

चौधरी गंगा राम: मैं तो इससे अलग सवाल पूछना चाहता हूँ । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि गोहाना

..

श्री अध्यक्ष: इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Evacuee Property

***1041. Sh. Jai Narain:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total property of evacuees, who migrated to Pakistan and which now vests in the Custodian, available in the State,

(b) the number of persons to whom the said proerty has been given in the State, district-wise during the current financial year 1978-79 upto 28th February, 1979; and

(c) the detail of the property which is still left for distribution amoungst the Harijans and the ex-servicemen?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार की 1-2-79 की कुल उपलब्ध मतरूका भूमि सम्पतियां निम्नलिखित अनुसार है:-

भाहरी					ग्रामीण			
पूर्णरूपेण	मौरूसी	संयुक्त	गैरमुमकिन	मकान /	का ता	बंजर	गैरमुमकिन	मकान /
मतरूका	हकूक	का ता	साधारण	प्लाट	भूमि	साधारण	साधारण	प्लाट
साधारण	के	साधारण	एकड़ मे		स्टैण्डर्ड	एकड़	एकड़ मे	
एकड़ में	तहत	एकड़ मे			एकड़	में		
	साधारण				में			
	एकड़ मे							

375		8	48	1048	4323	1572	4676	11098
-----	--	---	----	------	------	------	------	-------

(बी) व्यक्ति जिनको भूमि/सम्पतियां वर्ष 1978-79 में जैसा कि 31-1-79 तक बेची/अन्तरण की गई हैं, 1722 हैं। जिनका जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दियसा गया है।

(सी) मतरूका भूमि/सम्पतियां जो अभी हरिजनों को बेचने के लिए उपलब्ध हैं (भूतपूर्व सैनिकों को कोई छुट नहीं है) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

ग्रामीण भूमि		ग्रामीण प्रापर्टीज	
का ता भूमि	बंजर साधारण	गैरमुमकिन	मकान/ प्लाट
स्टैंडर्ड एकड़ में	एकड़ में	साधारण एकड़ में	
3314	1255	3440	5084

अनुबन्ध - 1

क्रमांक	जिला का नाम	व्यक्तियों की संख्या जिनको मतरूका भूमि/प्रापर्टीज वर्ष 1978-79 में 31-1-79
---------	-------------	--

		तक बेची गई
1	2	3
1	हिसार	48
2	भिवानी	252
3	गुड़गांव	413
4	अम्बाला	181
5	करनाल	274
6	रोहतक	54
7	कुरुक्षेत्र	54
8	सोनीपत	88
9	महेन्द्रगढ़	24
10	सिरसा	240
11	जीन्द	94
	कुल जोड़	1722

श्री जय नारायण: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कितनी जमीन ऐसी है जोकि अभी कस्टोडियन के पास है, औश्र अलाट होनी बकाया है ? क्या यह इन्फर्मे एन डिस्ट्रिक्ट वार्डज देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: इसका तो जवाब आ लिया। जवाब में यह बताया गया है कि इतनी जमीन अलाट कर चुके हैं।

श्री भाम डेर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जैसे कि उन्होंने जवाब में बताया है कि 3314 एकड़ भूमि ऐसी है जो अभी हरिजनों में अलाट की जानी है, यह कब तक अलाट कर देंगे ?

श्री प्रीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके बारे में चीफ सैटलमेंट आफिसर के पास केस चल रहे हैं। जमीनों के ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको खाली यकरवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जब यह खाली हो जायेगी तो भीघ्र ही उनकी नीलामी कर दी जायेगी।

कंवर राम पाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐवेकु प्रोपर्टी है वह सिर्फ हरिजनों को ही दी जाती है या जो लैंडलैस एक्स सर्विसमेंन हैं उनको भी अलाट की जाती है ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दिया जा चुका है कि यह जमीन एक्स सर्विसमेंन के लिए नहीं है सिर्फ हरिजनों के लिए है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो कस्टोडियन की जमीन है या ऐवेकु लैंड है और लोगों के कब्जे में हैं उसको कब तक खाली करा कर हरिजनों में बांट देंगे ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दिया जा चुका है।

चौधरी गया लाल: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कस्टोडियन की जमीन या सरप्लस जमीन जो काफी अर्से से लोग दबाये बैठे हैं उनसे वह जमीन कब तक खाली करी कर हरिजनों में बांट दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, कस्टोडियन की जो जमीन रिफूजियों को दी गई थी उसके बाद वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि यह जमीन हमारी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी तजवीज है कि वक्फ बोर्ड और कस्टोडियन डिपार्टमेंट वाले आपस में फैसला कर लें कि जिनको वह जमीन मिली थी उन पर दावा न किया जाए ?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है और जो झगड़े होते हैं एक्ट के तहत अदालतों में वे निपटाए जाते हैं।

स्वामी अग्निवे : स्पीकर साहब, भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पर अमल करने में काफी अड़चन आ रही है और जो लोग जमीन दबाए बैठे हैं, वे खाली नहीं करते। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट को रिकमेन्ड करेगी कि जमीन के बारे में जितने कानून हैं उनको नाइन्थ डिप्यूल में डाल दें ताकि कोई अदालत में न जा सके ?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, यह सवाल एवेकु प्रापर्टी के बारे में है सरप्लस जमीन के बारे में नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन खाली करवाई है और अभी कितनी जमीन बाकी रहती है ?

श्री प्रीत सिंह: इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्युएसी कैथल में एक धर्मपुरा अटेला गांव है, वहां एक जंगल बीस साल के लिए लिया था और उन लोगों ने उस जंगल को तोड़ा और तोड़ने के बाद आज वह जमीन सरप्लस में आ गई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह जमीन उन लोगों को ही दी जाएगी जिन्होंने वह जंगल लिया था या दूसरे लोगों को दी जाएगी ?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, मुझे पता नहीं, मेरे लायक दोस्त किस जमीन की बात कर रहे हैं। मुझे तो उस जमीन के बारे में पता नहीं है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, जो कस्टोडियन की जमीन है उसकी तीन-तीन दफा नीलामी होती है और हर बार जो नीलामी होती है वह पहली बोली से ज्यादा होती है लेकिन वह बोली कंफर्म नहीं होती है जिससे हरिजन भाइयों को बड़ा नुकसान होता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह बोली कंफर्म क्यों नहीं होती है ?

श्री प्रीत सिंह: स्पीकर साहब, एक जमीन की नीलामी करने के लिए पहली दफा डेट फिक्स की जाती है और उसकी आकान होती है। जो बिडर है या परचेजर है वह बिड देता है लेकिन वह परचेजर रेगूलरली इंस्टालमेंट नहीं देता और फिर उस नीलामी को कौन्सिल करके दुबारा डेट फिक्स की जाती है। क्या दुबारा नीलाम करने का यही कारण है ?

श्री अध्यक्ष: बिडर से जो पैसा लिया जाता है क्या वह वापिस कर दिया जाता है ?

श्री प्रीत सिंह: नियम ऐसा है कि वह पैसा फोरफीट हो जाता है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, स्वामी जी का सवाल बिल्कुल ठीक है गांव के किसान की जमीन छीनने के

लिए तो जमीन पर सीलिंग लगा दी है क्या मंत्री महोदय भाहर की प्रापर्टी पर पाबन्दी लगाकर इसको भी छीनने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रीत सिंह: यह सवाल कस्टोडियन की जमीन के बारे में है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, हरियाणा में ऐसे देहात है जहां ऐवेकु और नौन ऐवेकु बिसवारदन की जो भामलात देहभूमि है वह कस्टोडियन के कर्मचारियों ने या तो अलाट कर दी है या नीलाम करना चाहते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिससे कि नान-ऐवेकुज को हिस्सा मिले और उनके राइट्स सुरक्षित रह सके ?

श्री प्रीत सिंह : इसको एग्जामिन करवा लेगे।

चौधरी भाग मल : स्पीकर साहब, हाउस में बताया गया है कि ऐवेकु और कस्टोडियन की जमीन पर दस परसैन्ट ड्यूटी लगी हुई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने अ प्योरैस दी है कि यह ड्यूटी हटा देंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस ड्यूटी को हटाने के कब तक आर्डर इ ़ू हो जाएंगे ?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, यह बात सरकार के विचारधीन है और जल्दी ही आर्डर इ ़ू हो जाएंगे।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, ऐसा होता है कि हरिजन के नाम से गैर-हरिजन बोली दे देते और कुछ समय के बाद उस हरिजन को कुछ पैसा देकर अपने नाम जमीन को करा लेते हैं। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचारधीन कोई ऐसी तजबीज है जिससे गैर हरिजन बोली न दे सके ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सब बैनामियां खत्म हो जाएगी अगर सरकार यह कर दे कि हरिजन एक किस्त दे दे तो जमीन का इंतकाल उस हरिजन के नाम कर दिया जाए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बार-बार नीलामी को रोकने के लिए सरकार के विचारधीन क्यों ऐसी कोई तजबीज है?

श्री अध्यक्ष : अगर वह पैसा न दे तो इन्तकाल उस आदमी के नाम कैसे हो सकता है।

चौधरी गंगा राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचार-धीन कोई ऐसी बात है कि कस्टोडियन की जमीन हरिजनों को देने के अलावा बैकवर्ड क्लास के व्यक्तियों को भी दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को दी जाती है और ये लोग उनमें इंकलूड है।

कामरेड भांकर लाल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड लोगों के साथ साथ जो झुग्गी झोपडी वाले लोग तपडीवास है इनको भी इस किस्म की जमीन देने के विचार है?

श्री अध्यक्ष : अभी भी टपरीवास ि इड्यूल्ड कास्ट्स में इंकलूडिड है।

Adult education centres for adult Harijans

***1076. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Education be pleasad to State whether there is any propoal under consideration for the Government to open Special Adult Education Centres under the Adult Educdation Schemes for providing education facility to the adult Harijans; if so, the deatiled arrngmeants likely to be made to educate Harijan woman in rural ares of the State?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य) : जी हां राष्ट्रीय प्रौढ ि ाक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य कैटेगरी के प्रौढो के लिए, जिन में अनुसूचित जाति के प्रौढ भी प्रवे ा पा सकते है, खोले गए प्रौढ ि ाक्षा केंद्रो के अतिरिक्त केवल अनुसूचित जाति के प्रौढों के लिए भी प्रौढ ि ाक्षा केद्र खोले गये है। महिलाओं के लिए भी प्थक रूप से बडी संख्या में प्रौढ ि ाक्षा खोले गये है तथा कुछ हरिजनों महिलाओं के लिए भी खोले गये है। जहां तक

सम्भव हो सका है, इन केन्द्रों में अनुदे एक तथा पर्यवेक्षक के पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां की गई है।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, मैं शिक्षा मंत्री महोदय के पूछने चाहता है कि जिला गुडगांव में कितने प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं और कितने आबादी के लिए प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने का काइटेरिया है?

श्री हीरा नन्द आर्य : प्रत्येक जिले में 300 प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार है गुडगांव में हरिजनों के लिए 96 केन्द्र खोल दिये गये हैं जिन में से 62 पुरुषों के लिए और 34 स्त्रियों के लिए खोले गये हैं?

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाण में जितने प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं, उन में से पलवल में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी और हरिजनों के नाम से कितने हैं?

श्री हीरा चन्द आर्य : स्पीकर साहब, इस सवाल में तो डिस्ट्रिक्ट— वाईज सूचना भी नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब इन्होंने पलवल का भी पूछ लिया, कल को यह घरवाईज पूछना चाहेगे, अतः इसके लिए इनको अलग से नोटिस देना होगा।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब ने प्रत्येक जिले के बारे में बता दिया है। अगर आप कांस्टीचुएन्सी— वाईज पूछना चाहेगें तो इसके लिए आपको अलग से नोटिस देना होगा।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, जो प्रौढ शिक्षा केन्द्र सरकार ने खोल रखे हैं, मैंने वहां पर जाकर देखा है कि उन में बूढ़े और माताएं पढ़ रही हैं लेकिन हालत यह है कि जो माताएं हैं उनकी उंगलियां गोबर पाथ-पाथ कर मोटी हो गई हैं और जो बूढ़े हैं उनकी उंगलियां हल चला-चला कर मोटी हो गई हैं, जिस की वजह से ये बेचारे एक हरफ भी लिखने में समर्थ नहीं हैं तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इन्होंने कभी इन केन्द्रों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है कि वहां पर क्या हालत है?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं जाकर देख कर आया हूँ। हमारे केन्द्र अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि केन्द्रों की हालत खराब हो जाए। अतः सरकार को पूरी आशा है कि ये केन्द्र पूरी तरह से पफले रहे हैं और होंगे।

श्री भामदेर सिंह : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो एडल्ट एजुकेशन की स्कीम के तहत ये केन्द्र खोल रहे हैं इन पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, यह पैसा इन्हीं केन्द्रों पर खर्च हो रहा है या कि आर0एस0एस0 के लोगों पर खर्च किया जा रहा है?

स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल बधवा) : स्पीकर साहब इनको तो कोई गोलियां देनी चाहिए ताकि इनके

अन्दर जो आर0एस0एस0 बालो का फोबिया हुआ है वह दूर हो जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय आनरेबल मेम्बर साहिब ने जो आर0एस0एस0 वालों की बात कही है, इन केंद्रों में ऐसी कोई बात नहीं है हम किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करते हैं। जो इस कार्यक्रम को मानते हो, उन के लिए सरकार की स्कीम के अनुसार केन्द्र खोले जाते हैं।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, इन से पूछे कि क्या ये इस काम में मदद देने के लिए तैयार हैं?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, सरकार की ओर से इन प्रौढ से इन प्रौढ केन्द्रों में जो टीचर्ज और टीचरैसिज, बूढे और बूढियों को पढने के लिए लगाये गये हैं, वे लोग भाहरों के रहने वाले हैं उन्हे उन देहती पढने वालो से बू आती है और वे पाऊडर वगैरह लगा कर जाते हैं (भाोर) चण्डीगढ से लोग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : लाल सिंह जी आप सलाव पूछिये ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब सवाल ही पूछे रहा हूं क्या उन भाहरी टीचर्ज और टीचरैसिज के स्थान पर गांवो के लोग ही पढाने के लिए लगाये जाएंगे ताकि वे लोग उन गांव वालों को इट्रैस्ट के साथ पढा सकें?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं, उनमें सरकार की पालिसी के अनुसार उसी गांव की महिलाएं और शिक्षक ही होंगे मतलब कि पहले उन्हीं गांवों के लोगों को इस के लिए प्रेफरैन्सा दिया जाएगा, उसके बाद हमे अगर वहां लोग अवेलेबल न होंगे तो फिर पड़ोसी गांव का नम्बर होगा। चण्डीगढ़ का नम्बर तो बड़ी देर के बाद आएगा।

श्री अध्यक्ष : यानी आपका मतलब कि वे क्वालीफाईड होने चाहिए, बी०एड० या जे० बी० टी०?

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, इसमें मैट्रिक, बी०ए०, बी०एड० की कोई कंडीशन नहीं है। केवल यह देखा जाता है कि जिस को सरकार पढ़ाने के लिए लगा रही है, वह शिक्षा भी दे सकता है या नहीं।

श्री मूल चन्द मंगला : अध्यक्ष महोदय, आठ साल पहले के अन्दर एक एडल्ट एजुकेशन के लिए सैन्टर खोला गया था, जिस पर सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए 500 रूपये के करीब खर्चा आ गया लेकिन वहां से पांच आदमी भी पढ़कर नहीं निकले थे। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन सैन्टर की भी वैसी दंगा तो नहीं है जो कि कांग्रेसी राज में थी? क्या यह बात उनके ध्यान में है कि ये सैन्टर कामयाब भी होंगे या नहीं?

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसी तो कई बात नहीं है। जितना हमारे साथी सहयोग करेंगे ही हम कामयाब होंगे।

चौधरी संत कंवर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन अडल्ट एजुकेशन केन्द्रों के अन्दर जो कैंन्डीडेट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके एग्जमीनेशन का क्या काइटेरिया है ? वे लोग किसी बोर्ड के अन्दर होंगे या किसी और के ताकि यह जायजा लिया जा सके कि ये केन्द्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, इन केन्द्रों का किसी बोर्ड वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक इन केन्द्रों के ठीक चलने का सवाल है, इस बारे में समय समय पर इन्स्पैकशन होती रहती है और पढ़ने के वालों को सर्टिफिकेट भी दिये जाते हैं और पूरी तसल्ली करने के बाद दिये जाते हैं।

श्रीमति भान्ति देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि ये एडल्ट एजुकेशन केन्द्रों के लिए सरकार की तरफ से केन्द्र खोले गये हैं उन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और सब से अधिक इन केन्द्र खोले गये हैं, उन पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और सब से अधिक इन केन्द्रों पर लगाये गये सुपरवाइजरी स्टाफ, आफिर्ज वगैरह पर खर्च किया जा रहा है। क्या हरिजनों को भी इन केन्द्रों से कोई लाभ हो रहा है और कितने केन्द्र हरिजनों के लिए खोले गये हैं?

श्री हीरा चन्द आर्य : अध्यक्ष महोदयसस, मैम्बर साहिब इसके लिए अलग से नोटिस दे दे या मेरे आफिस में आ जाएं, उन्हें पूरी सूचना दे जाएगी।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा : स्पीकर साहब में आपकी मारफल मंत्री महोदय मै यह पूछना हूं कि यह होता रहा है, यह आगे कब तक चलेगा?

आवजे : यह वर्ड अन-पलियामैटरी है। इसको एक्सपन्ज किया जाए। (भाोर)

Mr. Speaker : I will check it up. If it is un - parliamentary, it wills be expunged.

चौधरी देस राज: अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन एडल्ट एजुकें इन सैन्टर्ज के लिए जो टीचर्ज या टीचर्ज रखे जाते है, क्या उस वक्त उनकी उम्र का भी ध्यान रखा जाता है?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जहां तक पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्ज का ताल्लुक है उनकी उम्र कोई लगभग 30 साल की होनी चाहिए और वैसे साधारण तौर पर जो उम्र होती है, उसके हिसाब से टीचर्ज वगैरह रख लिये जाते हैं।

स्वामी अग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, एडल्ट एजुकें इन स्कीम के अन्तर्गत जो दो-तीन नई स्कीमें जैसे फारमल एजुकें इन और फंक् इनल लिटरेसी। (गोर)

आवाजें: स्वामी जी, आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, हिन्दी में बोलिये (गोर)

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ भाब्डों का अनुवाद नहीं हुआ है, इसलिये स्वामी जी को अंग्रेजी बोलने की पूरी आज्ञा है। (गोर एवं हंसी)

स्वामी अग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से दो तीन प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें लिखाई पढ़ाई का काम होता है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके लिये मूल ज्ञान की सिखलाई के लिए भी कोई केन्द्र खोले गये हैं ताकि वे गरीब लोग उन केन्द्रों से शिक्षा प्राप्त करके अपनी रोटी रोजी कमाने के काबिल हो सकें ?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है उसको राष्ट्र नीति में शामिल किया गया है और उसके अनुसार लोगों को लिखाई पढ़ाई, एवं सिलाई और कढ़ाई वगैरह सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सकें और इस काम के लिए सरकार की तरफ से साधन भी जुटाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: 'फाड' भाब्ड अन-पार्लियामेंटरी है। That will be expunged.

आवाजें: स्पीकर साहब हमें एक सप्लीमेंटरी की इजाजत दे दीजिये। (गोर) बड़ा जरूरी है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

**नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित
प्र नों के लिखित उत्तर**

Octroi rates in the Municipal Committees

***1096. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Local Government be pleased to state whether it is a fact that the octroi rates in the Municipal Committees in the State are different from each other; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to bring uniformity in the octroi rates of Municipal Committees throughout the State?

स्थानीय भासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): वर्तमान आकट्राय भौडयूल में चूंगी के दर सभी नगरपालिकाओं में लगभग समान हैं। हाल ही में सरकार ने वर्तमान आकट्राय को सं गोधित करने तथा एकरूपता लाने के लिए स्थानीय भासन मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।

Digging of drains in District Rohtak

***874. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which the digging work of Pakasma, Gandhra, Simli and Kultana drains in Rohtak is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): पाकस्मा और गांधरा ड्रेनों की खुदाई का बहुत सा कार्य जून, 1979 तक पूर्ण हो जायेगा और भोश जून, 1980 तक।

बूपनिया, छुड़ानी, कुलताना, सिमली ड्रेन पर कार्य छारा और बूपनिया में मध्य जून 1979 तक पूर्ण हो जायेगा और भोश कार्य जून, 1980 तक किया जायेगा।

इन तीनों ड्रेनों को इससे पहले केन्द्रीय सरकार और देहली प्रशासन पूर्ण करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन ड्रेनों के पानी का निकास मंगेसपूर ड्रेन और नजबगढ़ ड्रेन के माध्यम से होना है जिन्हें इस क्षमता के लिए अभी बनाया जाना है।

Reduction/enhancement in the commission of Arhties

***1092. Sh. Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that commission of the Arhties was reduced from 2% to 1½ % during the last year in the State; if so, the reasons therefor; and

(b) whether the Government has again raised the afore-said commission from 1½ % to 2%, if so, the reasons therefore?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) Yes. The commission of the kacha arhties was reduced from 2% to 1½ % in November, 1977, by Haryana Agricultural Marketing Board, as it was felt that the reduced rate should suffice keeping in view the nature of services rendered by them.

(b) Yes. Subsequently, however, keeping in view the representation from the traders, it was felt that the reduction would adversely affect the quality of services rendered by the kacha arhties and the commission of Rs. 2% was restored in November, 1978, by the Board.

Cost of production of Paddy

***1053. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) whether the Government has got assessed the cost of production of various varieties of Paddy (Basmati, Jhone and Jaya etc.) in the State during the year 1978; and

(b) if so, the name of institutions from where it has been got assessed and the cost worked out?

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh):

(a) Yes.

(b) The field data for working out cost of production is collected by the Economic and Statistical Organisation of Haryana and on the basis of this data the cost of production is calculated by the Department of Agriculture. The cost of production worked out for the year 1978-79 for various varoieties is as under:-

Sr. No.	Variety of Paddy	Cost of production worked out (Rs. per quintal)
1	Paddy HY/- (I.R.8 & Jaya)	85.00
2	Paddy (Basmati)	110.00
3	Paddy (others Jhona etc.)	95.00

Water Supply Schemes

***1028. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) the district wise and constituency wise number of new water supply schemes for the supply of drinking water which have been taken up by the Janata Party Government since its assumption of office; and

(b) the cost involved in and the expenditure so far incurred on each said scheme separately?

Public Works Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a)&(b) Statements for 'A' & 'B' above are laid on the table of the House.

STATEMENT - A

District and Constituency wise details of new Water Supply Schemes District Wise

Sr.No.	Name of District	No. of new w/s schemes started
1	Ambala	28
2	Bhiwani	21
3	Gurgaon	13
4	Hissar	35
5	Jind	10
6	Karnal	2

7	Kurukshetra	2
8	Mohindergarh	12
9	Rohtak	21
10	Sirsa	25
11	Sonepat	5
	Total	174

Constituency wise

Sr.No.	Name of Constituency	No. of new w/s schemes started
1	Kalka	21
2	Naraingarh	5
3	Yamuna Nagar	1
4	Chhachrauli	1
5	Bawani Khera	4
6	Mundhal	5
7	Dadri	3
8	Bdhra	4
9	Loharu	5
10	Gurgaon	4

11	Sohna	2
12	Hathin	2
13	Ferozpur Jhirka	1
14	Nuh	2
15	Taoru	2
16	Narnaund	11
17	Barwala	4
18	Hansi	1
19	Ghirai	5
20	Fatehabad	2
21	Bhatto Kalan	9
22	Adampur	3
23	Rajound	2
24	Safidon	4
25	Kalayath	4
26	Naultha	1
27	Jundla	1
28	Thanesar	1
29	Pundri	1

30	Narnaul	10
31	Rewari	2
32	Beri	3
33	Hassangarh	3
34	Meham	2
35	Kalanaur	3
36	Bhadurgarh	3
37	Badli	6
38	Salhawas	1
39	Rori	8
40	Dabwali	7
41	Darba Kalan	4
42	Ellanabad	5
43	Sirsa	1
43	Gohana	2
45	Rohat	1
46	Baroda	2
	Total	174

STATEMENT - B

District Ambala				Rs. in Lakhs	
Sr.	Name of Constituency	Sr.	Name of w/s Scheme	Estimated Cost	Expenditure incurred upto 1/79
1	2	3	4	5	6
1	Kalka	1	Jholuwal Group of 4 Nos. Villages	4.76	1.00
		2	Kiratpur Group of 3 Nos. Villages	5.24	1.35
		3	Asrewali	1.63	
		4	Pranpura	1.01	0.43
		5	Khera Sita Ram	1.36	0.30
		6	Rampur Sewri	2.48	0.30
		7	Bhairon Kisair	0.65	0.36
		8	Orian	0.45	0.61
		9	Pinjore	11.88	1.52
		10	Manaka	0.95	

		11	Ratpur Group of 2 Nos. Villages	3.37	2.00
		12	Khol Fateh Singh Group of 2 Nos. Villages	3.12	
		13	Ram Nagar Group of 8 Nos.	6.41	0.45
		14	Khuda Baksh Group. of 2 Nos. Villages	1.80	
		15	Gorak Nath Group of 7 Nos. Villages	7.93	0.25
		16	Bhagwan Group of 2 Nos. Villages	3.84	
		17	Bhagwan Group of 2 Nos. Villages	3.43	1.56
		18	Kami Group of 2 Nos. Villages	2.36	
		19	Malla Group	7.47	2.00

			of 4 Nos. Villages		
		20	Rajipur Jhajra	5.63	1.95
		21	Bhawara Group of 3 Nos. Villages	7.08	0.79
			Total	82.85	14.87
2	Naraingarh	1	Bhood Group of 3 Nos. Villages	13.12	0.94
		2	Samanwa Group of 4 Nos. Villages	4.69	1.30
		3	Dhanana Group of 6 Nos. Villages	11.10	3.24
		4	Shahjanpur Group of 3 Nos. Villages	3.89	1.63
		5	Hangoli Group of 2 Nos. Villages	4.31	1.30
			Total	37.11	8.41

3	Yamunanagar	1	Nagal Group of 5 Nos. Villages	10.54	
4	Chhachhrauli	2	Taharpur Kalan Group of 22 Nos. Villages	20.19	
			Grand Total	150.69	23.18
District Bhiwani				Rs. in Lakhs	
1	Bawani Khera	1	Barsi	32.77	5.44
		2	Sumer Khera Group of 2 Nos. Villages	10.20	3.83
		3	Harita Group of 5 Nos. Villages	10.70	3.73
		4	Siwara	8.00	0.01
			Total	61.67	13.01
2	Mundhal	1	Talu Group of 2 Nos. Villages	11.50	6.01
		2	Mandhana	10.80	3.73
		3	Dhanana	18.78	2.84

		4	Badesra	7.20	2.55
		5	Un	6.13	
			Total	54.41	15.13
3	Dadri	1	Doki	5.22	2.55
		2	Patuwas Group of 8 Nos. Villages	34.0	0.13
		3	Atela Group of 8 Nos. Villages	15.72	0.04
			Total	54.94	2.72
4	Badhra	1	Tewala	2.50	2.55
		2	Badrai	2.82	0.03
		3	Chandeni Group of 3 Nos. Villages	7.80	0.05
		4	Lad Group of 4 Nos. Villages	13.32	0.03
			Total	26.44	2.66
5	Loharu	1	Sampura Group of 3 Nos. Villages	10.40	
		2	Digrota	1.50	

		3	Nagal Mala	1.15	
		4	Baeri Group of 2 Nos. Villages	3.25	
		5	Suretia Group of 4 Nos. Villages	4.08	
			Total	20.38	
			Grand Total	217.84	3.52
District Gurgaon				Rs. in Lakhs	
1	Gurgaon	1	Chandu Group of 3 Nos. Villages	9.85	0.10
		2	Gurgaon	8.32	0.06
		3	Jharsa Group of 2 Nos. Villages	14.76	0.79
		4	Garhi Hastu	2.96	
			Total	35.89	0.95
2	Sohna	1	Gham Raj Group of 3 Nos. Villages	4.33	1.94
		2	Silani Group of 2 Nos.	3.90	0.15

			Villages		
			Total	8.23	2.09
3	Hathin	1	Autha Group of 7 Nos. Villages	13.26	
		2	Madnaka Group of 8 Nos. Villages	13.08	0.30
			Total	26.34	0.30
4	Ferozpur	1	Basai Group of 2 Nos. Villages	4.22	
5	Nuh	1	Marora	3.80	
		2	Bajidpur Group of 17 Nos. Villages	33.48	0.58
			Total	37.28	0.58
			Grand Total	146.32	8.37
6	Taoru	1	Chhapera	2.96	
		2	Ulaita Group of 14 Nos. Villages	31.40	4.45

			Total	34.36	4.45
District Hissar				Rs. in Lakhs	
1	Narnaud	1	Haibatpur Group of 2 Nos. Villages	8.00	9.00
		2	Biana Khera	5.00	4.00
		3	Narnaud	13.62	7.42
		4	Bhadawar Group of 2 Nos. Villages	10.67	10.83
		5	Badahapper Group of 2 Nos. Villages	7.88	8.67
		6	Pali Group of 4 Nos. Villages	21.34	
		7	Kogsar Group of Villages	8.58	
		8	Puthi Saman	16.59	
		9	Kheri Gagan	7.73	
		10	Kani Kheri	6.66	
		11	Sisai Bala Group of 2	36.92	

			Nos. Villages		
			Total	142.99	39.92
2	Barwala	1	Kumbha Kheri	4.00	3.24
		2	Kothkalan Group of 2 Nos. Villages	18.00	
		3	Mutlauda Group of 3 Nos. Villages	25.79	
		4	Bhaini Amirpur Group of Villages	22.45	
			Total	70.24	3.24
3	Hansi	1	Umra Group of 2 Nos. Villages	20.84	
4	Ghirai	1	Naina Group of 3 Nos. Villages	26.94	
		2	Rajli	9.59	
		3	Kamri Group of 2 Nos. Villages	15.18	0.62

		4	Balak Group of 4 Nos. Villages	52.11	8.33
		5	Sisai Bala Group of 2 Nos. Villages	36.92	
			Total	140.74	8.95
5	Fatehabad	1	Dehman	7.29	0.55
		2	Tibbi Group of 6 Nos. Villages	16.23	
			Total	23.52	0.55
6	Bhattu Kalan	1	Kumhariyan	5.24	0.55
		2	Bhana Group of 4 Nos. Villages	32.61	2.09
		3	Banwali Group of 4 Nos. Villages	32.27	
		4	Khera Kheri	4.86	
		5	Bodi Khera Group of 2 Nos. Villages	13.89	
		6	Kheri Barki	5.72	

		7	Nagthela	17.43	
		8	Khasa Mahajan	6.80	
		9	Kulheri Group of 4 Nos. Villages	43.83	
			Total	162.65	2.64
7	Adampur	1	Muklan Group of 4 Nos. Villages	18.00	
		(a)	Mehalsera Group of 5 Nos. Villages	21.67	
		(b)	Kajla Group of 6 Nos. Villages	39.21	
			Total	78.88	3.19
			Grand Total	639.86	55.30
District Jind				Rs. in Lakhs	
1	Rajond	1	Alewa	9.65	
		2	Dhatrat	8.77	
			Total	18.45	
2	Safidon	1	Rajana Group	18.25	

			of 5 Nos. Villages		
		2	Kalwa Group of 2 Nos. Villages	18.56	
		3	Hat Group of 3 Nos. Villages	17.89	
		4	Dharauli Group of 3 Nos. Villages	16.49	
			Total	71.19	
3	Kalayath	1	Sajuma Group of 2 Nos. Villages	7.09	
		2	Kharak Pandwan	13.59	0.02
		3	Chhussla Group of 3 Nos. Villages	24.27	0.50
		4	Badsikri Kalan Group of 2 Nos. Villages	18.67	0.06
			Total	63.62	0.58

			Grand Total	153.23	0.58
District Karnal				Rs. in Lakhs	
1	Naultha	1	Shahpur Group of 4 Nos. Villages	20.26	3.91
2	Jundla	1	Nisang	2.56	0.36
			Grand Total	22.82	4.27
District Kurukshetra				Rs. in Lakhs	
1	Thanesar	1	Umri	3.92	0.78
2	Pundri	2	Pabnawa	3.85	0.75
			Grand Total	7.77	1.53
District Mohindergarh				Rs. in Lakhs	
1	Narnaul	1	Dochana Group of 2 Nos. Villages	3.50	2.33
		2	Tehla Group of 2 Nos. Villages	3.02	1.55
		3	Ghatesar Group of 2 Nos. Villages	5.49	0.02
		4	Niyamatpur	15.05	

			Group of 5 Nos. Villages		
		5	Naulaja Group of 4 Nos. Villages	10.80	
		6	Dholera Group of 2 Nos. Villages	8.65	
		7	Rambas Group of 5 Nos. Villages	15.77	
		8	Golwa	1.98	
		9	Amarpur	1.41	
		10	Dhancholi	1.27	
			Total	66.94	3.90
2	Rewari	1	Khatauli Group of 10 Nos. Villages	22.79	
		2	Nand Rampur Group of 5 Nos. Villages	11.55	
			Total	34.34	
			Grand Total	101.28	3.90

District Rohtak				Rs. in Lakhs	
1	Beri	1	Chimni Group of 2 Nos. Villages	9.77	2.25
		2	Gochhi Group of 2 Nos. Villages	11.65	
		3	Madana Group of 3 Nos. Villages	13.23	
			Total	34.65	2.25
2	Hassangarh	1	Bhambewa Group of 2 Nos. Villages	8.79	1.68
		2	Kurawar	15.89	
		3	More Kheri	7.31	
			Total	31.99	1.68
3	Meham	1	Farmana Group of 2 Nos. Villages	15.50	0.07
		2	Bansi Group of 5 Nos. Villages	28.16	1.04

			Total	43.66	1.11
4	Kalanur	1	Kahanaur	12.77	
		2	Khereri	4.36	
		3	Singhpura Group of 2 Nos. Villages	20.29	0.78
			Total	37.42	0.78
5	Bahadurgarh	1	Mandhoti	18.50	0.07
		2	Asoda Group of 4 Nos. Villages	35.54	
		3	Jasur Kheri Group of 2 Nos. Villages	20.53	1.50
			Total	74.57	1.57
6	Badli	1	Kharhar	12.00	0.06
		2	Badsa Group of 5 Nos. Villages	17.97	
		3	Nangla Group of 5 Nos. Villages	10.33	

		4	Sondhi Group of 4 Nos. Villages	9.17	
		5	Bhadana Group of 4 Nos. Villages	19.16	
		6	Barkatabad Group of 6 Nos. Villages	22.78	
			Total	91.41	0.06
7	Salahawas	1	Jhanswa Group of 3 Nos. Villages	12.51	
			Grand Total	326.21	0.06
District Sirsa				Rs. in Lakhs	
1	Rori	1	Khairian	6.63	4.14
		2	Kheowali Group of 4 Nos. Villages	11.00	11.25
		3	Bhadra Group of 3 Nos. Villages	15.55	0.96
		4	Rori	23.66	0.69

		5	Phagu	9.68	
		6	Kheowali Group of 6 Nos. Villages	23.96	
		7	Rasalia Khera Group of 5 Nos. Villages	26.55	
		8	Ratta Khera Group of 3 Nos. Villages	9.86	
			Total	126.86	17.04
2	Dabwali	1	Lohgarh Group of 2 Nos. Villages	6.40	0.10
		2	Abubshahar Group of 2 Nos. Villages	16.68	12.95
		3	Alika Group of 3 Nos. Villages	18.00	18.00
		4	Asakhera Group of 5 Nos. Villages	23.46	17.17
		5	Jagmalwali	9.54	
		6	Pipli Group of	19.35	

			5 Nos. Villages		
		7	Nillanwali Group of 4 Nos. Villages	19.90	
			Total	113.33	48.22
3	Derba Kalan	1	Pillimadori Group of 6 Nos. Villages	22.64	8.43
		2	Arniwali Group of 2 Nos. Villages	7.15	0.51
		3	Shahuwala	12.30	
		4	Gilla Khera Group of 4 Nos. Villages	18.60	0.50
			Total	60.69	9.44
4	Ellenabad	1	Bhurtwala Group of 5 Nos. Villages	21.18	
		2	Nathora Group of 5 Nos. Villages	28.77	
		3	Salankhera Group of 2	10.64	

			Nos. Villages		
		4	Haripura Group of 10 Nos. Villages	38.85	
		5	Ellenabad	14.58	0.96
			Total	114.02	0.96
5	Sirsa	1	Nazada Kalan Group of 6 Nos. Villages	29.89	
			Grand Total	444.82	75.66
District Sonapat				Rs. in Lakhs	
1	Gohana	1	Kheri Damkan Group of 4 Nos. Villages	18.35	0.01
		2	Gilaur Kalan Group of 2 Nos. Villages	9.46	
			Total	27.81	0.01
2	Rohat	1	Khanda Group of 3 Nos. Villages	12.86	0.02
3	Baroda	1	Jagsi	16.58	

		2	Nizapipura Group of 4 Nos. Villages	44.37	0.52
			Total	60.95	0.52
			Grand Total	101.62	0.55

Trades in the Industrial Training Institute for Girls at Jhajjar

***1064. Captain Mange Ram:** Will Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that training in a very limited number of trades is being imparted in the I.T.I. for Girls at Jhajjar, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to impart training in all the trades in the said Institute as is being imparted in teh Institutes at Rohtak and Dujana?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): There is no I.T.I. at Jhajjar or Dujana but a Government Industrial School for Girls at Jhajjar where training in two trades i.e. Cutting and Tailoring and Embroidery only, is imparted. However, there is at present no propsoal under consideration of Government to impart training in any additional trade in the said institute.

Thirty beds Hospital at Ellenabad

***1047. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 30 beds Hospital at Ellenabad, district Sirsa?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma): Not at present.

Minor from Dadri Feedar

***1013. Sh. Jai Narain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which the minor from Dadri Feeder in District Rohtak will be dug out/linked to the villages Gudan, Katesra and Kalanaur?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh): The scheme of providing improved irrigation to area of villages Gudan, Katesra and Kalanaur is under examination.

Free Board and Lodging to the Harijan Students

***1077. Ch. Gaya Lal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether the Social Welfare Department, Haryana is considering any proposal to provide free board and lodging and free of cost books in the hostels to the students belonging to the Scheduled Castes; and

(b) whether the said department is considering to construct hostels in the rural areas in the State?

Revenue Minister (Sh. Preet Singh):

(a) No. However, a centrally sponsored scheme is being started before the end of this financial year for the benefit of children whose parents are engaged in scavenging of dry latrines or other unclean occupations i.e. tanning and flaying etc.

(b) No. However, aid under a Government of India's scheme is being given to institutions for setting up girls hostels.

Transfers of State Government Employees

***1095. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the transfer of employees of all cadres in the State continued even after the prescribed period; if so, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): जी हां। निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानान्तरण लोक सेवा की आवश्यकताओं तथा लोक हित को ध्यान में रख कर किये जा रहे हैं।

T.A./D.A. Drawn by each Minister

***877. Ch. Sant Kanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state the month wise total T.A./D.A. drawn by each Minister/Parliamentary Secretary, excluding the Chief Minister and Irrigation and Power Minister, during the period from 1-4-78 to 31-12-78 together with the expenditure incurred by the Government on account of their telephone charges, separately?

Chief Minister (Ch. Devi Lal): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House (Annexure 'A').

	Jain, FM	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
4	Sh. Bhajan Lal, CDM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)918.00 (b)2956.50	(a)1067.00 (b)1378.00	(a)714.00 (b)1107.00	(a) (b)6570.25
5	Sh. Prit Singh, RM	(a)561.00 (b)4789.00	(a)459.00 (b)982.25	(a)663.00 (b)1737.00	(a) (b)6158.45	(a)1173.00 (b)2111.50	(a)816.00 (b)2499.00	(a)561.00 (b)6426.20	(a)612.00 (b)1943.00	(a)561.00 (b)1378.50
6	Sh. Bir Singh, DM	(a) (b)	(a) (b)	(a)561.00 (b)107.00	(a)765.00 (b)361.50	(a)612.00 (b)3073.35	(a)663.00 (b)700.00	(a)816.00 (b)560.00	(a) (b)4608.60	(a)1530.00 (b)271.50
7	Lachhman Singh PWM	(a) (b)	(a) (b)	(a)306.00 (b)290.00	(a)765.00 (b)853.00	(a)714.00 (b)1160.60	(a)765.00 (b)3218.20	(a)816.00 (b)594.50	(a)714.00 (b)989.40	(a)612.00 (b)3362.10
8	Smt. Kamla Devi, HM	(a)561.00 (b)3144.70	(a)1307.00 (b)459.50	(a) (b)2560.20	(a)510.00 (b)4169.10	(a)561.00 (b)761.00	(a)1479.00 (b)2772.30	(a)624.75 (b)4661.75	(a)816.00 (b)726.00	(a)612.00 (b)2412.50
9	Sh. Ram Lal, IGM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)1988.50	(a)969.00 (b)3213.35	(a)816.00 (b)2496.90	(a)1914.50 (b)1246.00	(a)1803.00 (b)3984.70	(a)2393.75 (b)1841.60	(a)612.00 (b)2028.50
10	Hira Nand Arya, EM	(a)	(a)	(a)510.00	(a)561.00	(a)1816.00	(a)510.00	(a)612.00	(a)663.00	(a)612.00

		(b)	(b)	(b)360.00	(b)3370.00	(b)897.50	(b)3009.90	(b)3636.60	(b)990.50	(b)2670.00
11	Sh. Mehar Singh, J&CM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)510.00 (b)2472.90	(a) (b)2204.45	(a)1326.00 (b)699.00	(a)816.00 (b)438.50	(a)765.00 (b)1665.50
12	Sh. Sher Singh, ETM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a)510.00 (b)100.00	(a)510.00 (b)1183.75	(a)816.00 (b)462.00	(a)612.00 (b)663.00	(a)612.00 (b)6214.60
13	Sh. Gajraj Nagar, FSM	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)12.50	(a) (b)2487.40	(a)255.00 (b)	(a)1122.00 (b)332.00	(a)924.00 (b)652.50	(a)1505.00 (b)284.00	(a)906.00 (b)2044.55
14	Sh. Surinder Singh, CPS	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)1380.00	(a)1224.00 (b)1676.05	(a)408.00 (b)1137.00	(a) (b)1807.00	(a)1473.00 (b)6377.90	(a)561.00 (b)1596.00	(a) (b)1619.00
15	Sh. Baldev Tayal, Ex-Minister	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)112.00	(a) (b)1149.00	(a) (b)570.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
16	Sh. Ram Singh, Ex-	(a) (b)1771.40	(a)969.00 (b)1142.25	(a)510.00 (b)761.65	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

	Minister									
17	Sh. Tara Singh, Ex-Minister	(a)1224.00 (b)339.00	(a) (b)2797.70	(a) (b)400.25	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
18	Sh. Satbir Singh Malik, Ex-Minister	(a)561.00 (b)1979.60	(a) (b)3314.40	(a) (b)510.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
19	Smt. Sushma Swaraj, Ex-Minister	(a)625.00 (b)5673.00	(a) (b)167.50	(a) (b)2593.60	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
20	Sh. Jagan Nath, Ex-C.P.S.	(a) (b)880.00	(a) (b)147.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
21	Sh. Lal Singh, Ex Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)68.00	(a) (b)480.20	(a) (b)	(a) (b)	(a)1071.00 (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

22	Sh. Harsarup Bura, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)262.30	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
23	Sh. Sardar Khan, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)14.00	(a) (b)465.00	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
24	Sh. Mool Chand, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)566.60	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
25	Sh. Bhale Ram, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)160.00	(a) (b)184.40	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)
26	Sh. Bhag Mal, Ex-Parl. Secr.	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)236.40	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)	(a) (b)

Note:- The above figures are based on the amounts actually drawn for payment in a particular month.

Scarcity of Drinking Water in Mewat Area

***906. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is a scarcity of drinking water in about 82% villages of Mewat area; and

(b) if so, the reasons for not giving priority to implement the drinking water supply schemes in the afore-said villages?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) उपरोक्त गांव को प्राथमिकता दी जा रही है।

Rural Industrialisation Programme

***1032. Sh. Shamsheer Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of units registered under Rural Industrialisation programme in the State from 1st January to 31st December, 1979;

(b) the number of persons actually employed/benefited under the said scheme during the above period;

(c) the amount of loan/subsidy advanced by the Government to such units during the above period;

(d) the number of large/medium industrial units registered in the State during the above period; and

(e) the amount of loan advanced/subsidy given to large and medium scale units by Government or other Government agencies during the above period?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

(a) 468 Units.

(b) 1286 Persons.

(c) Loan Rs. 378420/-

Subsidy Rs. 9000/-

(d) 20 Industrial Units have been registered with D.G.T.D. from January, 1978 to December, 1978 in the large/medium scale sector.

(e) (i) Subsidy Nil.

(ii) Loan advanced Rs. 8724000/-.

स्वामी आदित्यवे : स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दो दिनों से एम. एल.एज. होस्टल में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सदस्य पीकर बहुत अनाप भानाप बोलते हैं

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, अगर इस संबंध में कोई रैगुलर काल अटैन्डान्स हो तब तो ऐसी चीज आ सकती है।

श्री अध्यक्ष: अगर कोई इस किस्म की बात है तो आप मेरे चैम्बर में मिलें, वहां मरै से डिस्कस करें या मेरे को आप लिखित रूप में कुछ दें जिसके ऊपर मैं कार्यवाही करूंगा।

लाला बलवंत राय तायल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो हाउस की इलैक्टड कमेटियां या नामिनेटड कमेटियां हैं उनके चेयरमैन को नामिनेट आप करते हैं या लीडर आफ दि हाउस करते हैं ?

Mr. Speaker: This is no point of order. It is quite clearly laid down in the rules that the Chairmen of the Committees of the House are appointed by the Speaker. The Speaker appoints them.

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं सरकार का ध्यान एक विशेष बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कल हम कई एम.एल.एज. झञ्जर गये थे। रास्ते में हमने रोहतक और हसनगढ़ हल्के के अन्दर देखा कि वहां पर बहुत ओले गिरे हैं

Mr. Speaker: It is a normal practice कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन कोई काल अटैन्डान्स आदि नहीं होता।

वर्ष 1979-80 का बजट पे 1 करना

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will present the Budget for the year 1979-80.

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1979-81 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आर्थिक स्थिति

बजट अनुमानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व मैं माननीय सदस्य को राज्य को अर्थ व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का परिचय देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। हरियाणा राज्य वर्ष 1977 की विना ाकारी बाढ़ों की तबाही से अभी मुक्ति के लिए ही सम्भल पाया था कि इसे वर्ष 1978 में फिर से बाढ़ों के प्रकोप का सामना करना पड़ा। बाढ़ों के कारण राज्य के बहुत बड़े भागों में लोगों को असीम हानि तथा मुसीबतें सहनी पड़ीं। प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बड़ा धक्का पहुंचा और औद्योगिक उत्पादन भी रूक गया। सैंकड़ों परिवार बेघर और बेरोजगार हो गये। हरियाणा की सड़कों को बहुत अधिक क्षति पहुंची तथा सार्वजनिक उपयोग की कुछ अन्य संस्थाओं, जैसे शिक्षा संस्थाओं तथा हस्पतालों आदि, को भी नुकसान हुआ।

इसके कारण राज्य के सीमित साधनों पर बहुत अधिक बोझ पड़ा तथा इस अदृष्ट स्थिति के कारण धन की जिन मदों पर खर्च करना था उधर से उसाक रूख मोड़ कर उसे इधर लगाना पड़ा।

तथापि इन बाढ़ों के बावजूद, 1977-78 में हरियाणा का आर्थिक कार्यक्रम अनूठा रहा और इस वर्ष राज्य में आर्थिक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 7.4 प्रतिशत रही। भीषण लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 1960-91 के मूल्यों के आधार पर हरियाणा राज्य की आय 1976-77 में 559 करोड़ रुपये से बढ़कर 1977-78 में 603 करोड़ रुपये हो गई। परिणामस्वरूप स्थिर मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1976-77 में 482 रुपये से बढ़कर 1977-78 में 508 रुपये हो गई। इस प्रकार एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में 26 रुपये की वृद्धि हुई है। 1976-77 में खाद्यान्न उत्पादन 52.50 लाख टन से बढ़ कर 1977-78 में 53.61 लाख टन हो गया। 1978-79 में 58.40 लाख टन उत्पादन की प्रत्याशा है। यदि बाढ़ न आती तो उत्पादन और भी अधिक होता।

1977-78 के दौरान राज्य में औद्योगिक उत्पादन संतोषजनक रहा। इस अवधि के दौरान 37 आय पत्रों/लाईसैंसों को जारी किया जाना ही हरियाणा में अधिक पूंजी लगाने की प्रवृत्ति का सूचक हैं। विशेषतः लघु, छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की उदार नीति से औद्योगिक निवेश को बहुत प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक उत्पादन का निर्यात 1976-77 में 73.

12 करोड़ रुपये से थोड़ा सा बढ़ कर 1977-78 में 74.55 करोड़ रुपये हो गया। मार्च, 1977 में पंजीकृत लघु इकाइयों की संख्या, 18149 थी जो कि मार्च, 1978 में बढ़ कर 19325 हो गई। संगठित क्षेत्र में समग्र रोजगार की संख्या 1978 में बढ़ कर 4.43 लाख हो गई जबकि मार्च, 1977 में यह संख्या 4.24 लाख थी। फिर भी हरियाणा के औद्योगिक संस्थानों में कुछ श्रमिक अभाव का अनुभव हुआ। वर्ष के दौरान इन संस्थानों में 84 हड़तालें/तालाबन्दियां हुईं जिनमें 11649 कामगारों ने भाग लिया। तथापि, राज्य समझौता मंजूर करने में हीनरी ने इन विवादों को भांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में तत्परता से काम लिया। राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य विभागों का कार्य भी उत्साहजनक रहा, जिनका ब्यौरा मैं विभागीय गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए दूंगा। इससे पहले कि मैं आर्थिक स्थिति पर अपनी टिप्पणी समाप्त करूं मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा में कीमतें राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही रहीं। मुद्रा में वृद्धि हो जाने के बावजूद, कीमत लगभग स्थायी ही रहीं। उपभोक्ताओं के काम की वस्तुओं की सप्लाई सामान्यतः संतोशजनक रही। फिर भी, जिस वस्तु के अभाव के कारण कठिनाई पैदा हुई वह भी कोयले की कमी, जिसके कारण न केवल औद्योगिक उत्पादन में ही कमी आई बल्कि इसने ईंटें बनाने के काम को भी बुरी तरह प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई।

सातवां वित्त आयोग

भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित सातवें वित्त आयोग ने चालू वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस आयोग ने (i) आय कर, (ii) केन्द्रीय उत्पाद भुल्क, (iii) सम्पदा भुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदान संबंधी निवल आय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच वितरण के संबंध में सिफारिशों की हैं। इसने राज्यों को ऋण राहत देने तथा राष्ट्रीय नगण्य नीति लागू करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाली हानि को पूरा करने के संबंध में भी सिफारिशों की हैं। वित्त आयोग ने राज्यों के विभाज्य पूल में आय कर का हिस्सा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है और केन्द्रीय उत्पाद भुल्कों में 20 प्रतिशत के हिस्से को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। आयोग की इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप, जिन्हें भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, हमारे राज्य और अन्य राज्यों को पहले की अपेक्षा केन्द्र से अधिक धन राशि प्राप्त होगी। नगण्य लागू करने के कारण होने वाले घाटे के बारे में भारत सरकार इस हानि के केवल 50 प्रतिशत अंश को पूरा करने के लिए सहमत हुई है, जिसे वह विशेष अनुदानों के रूप में देगी। आयोग की सिफारिशों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला है कि हरियाणा राज्य को 1979-84 की अवधि के दौरान 38.29 करोड़ रुपये की ऋण राहत मिलेगी। वर्ष 1979-80 के

बजट अनुमानों में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र से इस राज्य को प्राप्त धन राशि शामिल है।

लेख 1977-78

वर्ष 1977-78, महालेखाकार, हरियाणा द्वारा संकलित लेखों के अनुसार, 11.66 करोड़ रूपए के घाटे के साथ समाप्त हुआ। तथापि, वास्तव में वर्ष 1977-78 की समाप्ति पर 0.36 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भोश था क्योंकि 31 मार्च, 1978 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास राज्य सरकार की 12.00 करोड़ रूपए की सरकारी हुंडियां थीं। वर्ष 1977-78 के संशोधित अनुमानों द्वारा प्रत्याशित था कि वर्ष 7.91 करोड़ रूपए के जमा भोश से समाप्त होगा। इसलिए वर्ष के लेखों में संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.55 करोड़ रूपए की कमी का पता चला। यह कमी राज्य सरकार को मुख्यतः निम्नलिखित साधनों से होने वाली राजस्व आय में कमी के फलस्वरूप हुई:- (क) भू-राजस्व (0.96 करोड़ रूपए), (ख) बिक्री कर (2.32 करोड़ रूपए), (ग) माल तथा यात्रियों पर कर (0.50 करोड़ रूपए), (घ) बिजली शुल्क (1.76 करोड़ रूपए), (ङ) ब्याज/प्राप्तियां (0.70 करोड़ रूपए) (च) पुलिस विभाग द्वारा अन्य विभागों को दी सेवाओं के लिए प्राप्तियां (0.41 करोड़ रूपए), तथा (छ) सिंचाई प्राप्तियां (0.90 करोड़ रूपए)। आय में कमी इस कारण हुई कि राज्य के कुछ भाग में

भयंकर बाढ़ आ गई थी जिससे राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भारी दुःप्रभाव पड़ा। फिर भी, उचित वित्तीय प्रबन्ध के फलस्वरूप, राज्य सरकार का आयोजना कार्यक्रम (148.22 करोड़ रूपए) वर्ष 1977-78 की वार्षिक योजना के 148.40 करोड़ रूपए के संशोधित पूंजीगत परिव्यय तक पहुंच गया था।

संशोधित अनुमान 1978-79

वर्ष 1978-79 के बजट अनुमानों में यह मान लिया गया था कि वर्ष 26.89 करोड़ रूपए के घाटे के भोश के साथ समाप्त होगा। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 14.13 करोड़ रूपए के घाटे के भोश के साथ समाप्त होने की संभावना है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के संशोधन और 1979-80 के बजट अनुमानों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थिति उभरती है:-

	बजट अनुमान 1978-79	संशोधित अनुमान 1978-79	बजट अनुमान 1979-80
	(रूपए करोड़ों में)		
1 अथ भोश	(+)7.91	(+)0.36	(-)14.13

2	राजस्व लेखा:-			
	राजस्व प्राप्तियां	331.92	339.11	391.95
	राजस्व खर्च	278.20	294.40	328.97
	फालतू	(+)53.72	(+)44.71	(+)62.98
3	पूंजी लेखा (निवल)	94.27	83.55	94.46
4	सार्वजनिक ऋण:-			
	लिया गया ऋण	166.25	189.03	209.27
	ऋण की पुनर्दायगी	144.28	144.11	176.88
	निवल	(+)21.97	(+)44.92	(+)32.39
5	ऋण/पे ागियां:-			
	पे ागियां	51.42	71.91	57.95
	वसूलियां	11.08	7.14	10.06
	निवल	(-)40.34	(-)64.77	(-)47.89
6	अन्तर्राज्यीय:-			
	समंजन	(-)1.36	(-)1.36	

7	सामान्य भविश्य निधि:-			
	अं ादान (निवल)	(+)8.15	(+)20.25	(+)12.60
8	जमा तथा पे ागियां			
	(निवल)	(+)17.33	(+)25.31	(+)11.54
	निवल परिणाम	(-)26.89	(-)14.13	(-)36.97

आदरणीय सदस्य देखेंगे कि इस बात की सम्भावना है कि राज्य सरकार चालू वर्ष के सं गोदित अनुमानों में 12.76 करोड़ रूपये के भारी अंतर से वित्तीय स्थिति में सुधार कर ले। चालू वर्ष के अथ ेश के 7.55 करोड़ रूपये तक कम रह जाने के बावजूद यह सुधार महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुधार उल्लेखनीय है: (क) बाढ़ों के दोबारा आने के कारण राहत उपायों, तकावी कर्जे तथा रासायनिक खादों के लिए उपदान देने के लिए 6.64 करोड़ रूपये का अधिक खर्च करना पड़ा, (ख) गन्ने की कीमत के लिए लगभग 1.75 करोड़ रूपये का उपदान दिया गया, (ग) सहकारी सैक्टर में चीनी मिलों को 3.00 करोड़ रूपये के कर्जे देने पड़ें ताकि वे गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया देय राशि की आदयगी कर सकें, (घ) बजटोतर अवधि में पहली जनवरी, 1978 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत

अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो किंतां देने के कारण 3.25 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में इस अतिरिक्त खर्च के इलावा बाढ़ों के कारण अर्थ व्यवस्था में मन्दी होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की राजस्व आय में कमी भी शामिल की गई है। अनुत्पादी खर्च पर नियन्त्रण करके राज्य की अर्थ व्यवस्था में पुरुत्थान को बढ़ावा देने के लिए अपने निचय तथा भरसक प्रयत्नों से तथा बाढ़ों से हुए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता से सरकार आय की कमी, सप्लाई तथा खपत को रोकने के लिए सक्षम हो गई है परन्तु ऐसा न करने पर स्थिति का सामना करना संभव नहीं हो सकता था यह हमारे लिए संतोश का विशय होना चाहिये।

बजट अनुमान 1979—80

अब मैं सदन के सम्मुख वर्ष 1979—80 के बजट अनुमान रखना चाहता हूं। अच्छी आया होने के बावजूद, बजट अनुमान, 1979—80 में, वर्ष के अन्त में 36.97 करोड़ रूपए का घाटा कल्पित किया गया है। 14.13 करोड़ रूपये के चालू वर्ष के अन्त के घाटे के लिए भारत सरकार द्वारा पेगी आर्थिक सहायता दिए जाने की सम्भावना है ताकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान हमारे प्रयत्न केवल 22.84 करोड़ रूपये के घाटे को पूरा

करने के लिए सीमित रहे। वित्त वर्ष 1979-80 के लिए हमारी योजनागत अपेक्षाओं तथा इसके लिए उपलब्ध साधनों के बीच 22.84 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करने के लिए अर्थोपायों पर विचार करना आवश्यक होगा। मैं इस विषय का उल्लेख बाद में करूंगा।

वार्षिक योजना 1979-80

चालू वर्ष पांचवीं योजना का अन्तिम वर्ष है और 1978-83 की योजना का प्रथम वर्ष भी है। चालू वर्ष की संशोधित योजना 212.06 करोड़ रुपये की है जबकि वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा 227.30 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना में से खर्च का मुख्य भाग अर्थात् 171.36 करोड़ रुपये अथवा कुल योजना परिव्यय का लगभग 75.4 प्रतिशत केवल कृषि, सिंचाई तथा बिजली सैक्टरों के लिये प्रस्तावित हैं। दूसरी ओर सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 29.80 करोड़ रुपये रखे गये हैं। चालू सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं और बाढ़ों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भूखुरी किये गये निर्माण कार्यों की समाप्ति को राज्य की अर्थ व्यवस्था की विकास नीति में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटन का वर्णन योजना स्कीमों के

व्याख्यात्मक ज्ञापन में किया गया है। अब मैं विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उल्लेख करता हूँ।

सिंचाई

यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा में प्रायः भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं परन्तु यहां कृषि फसलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल कभी भी उपलब्ध नहीं होता। अतः यहां जल स्रोतों को बढ़ाने तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। चालू वित्त वर्ष में तथा आगामी वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं को परमाग्रता देने का प्रस्ताव है। 1979-80 में, मुख्यतः तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों पर 58 करोड़ रूपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इस राशि में पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक पर खर्च की जाने वाली 7.55 करोड़ रूपए की राशि भी शामिल है। 1979-80 में लघु सिंचाई स्कीमों पर 1.00 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

रावी ब्यास के फालतू जल में से हरियाणा के हिस्से का जल लाने के लिए हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाले भाग में सतलुज यमुना योजक के निर्माण कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और यह निर्माण कार्य जून, 1979 तक पूरा हो जाना सम्भावित है। इस कार्य के पूरा हो जाने पर वस्तुतः हरियाणा के अधिकांश भू-पृष्ठ जल का उपयोग हो जाएगा तथा इसके पश्चात् वर्तमान सिंचाई

प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, जिसमें वर्तमान जल मार्गों को पक्का करना भी सम्मिलित है, को परमाग्रता दी जा रही है। वि. व. बैंक के साथ एक करारनामों पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार हरियाणा में सिंचाई जल मार्गों को आधुनिक बनाने की परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जायेगी और 1978 से प्रारम्भ होने वाले 4 वर्षों के दौरान इस कार्य पर 58.60 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है चालू वर्ष के 10.00 करोड़ रुपये के उपबन्ध को वर्ष 1979-80 में बढ़ा कर 16.00 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव है।

प्रयोगात्मक आधार पर नहर प्रणाली पर एक सौ छिड़काव सेट लगाये जा रहे हैं ताकि ऊंचे तथा असमतल क्षेत्रों को वर्तमान सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा सके। इससे रिसन हानि कम हो जाने के कारण सिंचाई के लिए जल के प्रयोग में किफायत करने तथा उपलब्ध जल के साथ अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई के अधीन, लाने में किसानों की सहायता की जा सकेगी।

राज्य के सूखा सम्भावी क्षेत्रों में लोहारू और सेवानी उठान सिंचाई योजनाओं का कार्य संतोशजनक रूप से चल रहा है और इसे मार्च, 1980 तक मुकम्मल कर लिये जाने की संभावना है। वर्ष 1979-80 के दौरान जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई योजना के लिए 12.50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

लघु सिंचाई और नलकूप निगम राज्य के जल साधनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके प्रमुख क्रियाकलापों में गहरे नलकूप लगाना तथा जल मार्ग को पक्का करना शामिल है। वर्ष 1978-79 में 250 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 125 नलकूप लगाये जाने की संभावना है। वि. व. बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत 173.35 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से इस कार्यक्रम में 80 नलकूप शामिल किए गए हैं। वर्ष 1979-80 में निगम द्वारा 436 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से 180 वर्धन एवं सीधे सिंचाई नलकूप लगाने की योजना तैयार की जा रही है। इससे वर्ष 1979-80 में 20000 हैक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। जहां तक वर्ष 1978-79 में जल मार्गों को पक्का करने का सम्बन्ध है, 550.40 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से 34.40 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जलमार्ग पक्के किए जाने की संभावना है। वर्ष 1979-80 में निगम द्वारा 1923.10 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से 120.10 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जल मार्गों को पक्का करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें वि. व. बैंक स्कीम के अन्तर्गत 86.10 लाख आर.एफ.टी. लम्बाई के जल मार्गों को पक्का करना भी शामिल है।

राज्य को वर्ष 1977 तथा 1978 की अभूतपूर्व बाढ़ों के बड़े पैमानों पर तबाही का सामना करना पड़ा। इन आपदाओं के दृष्टिगत बाढ़ों के सम्बन्ध में व्यापक आधार पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसने विस्तृत विचार विमर्श के

बाद 138.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बृहत् बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास महायोजना की क्रियान्विति की सिफारिश की। चालू वित्त वर्ष के दौरान बाढ़ सहायता उपायों के लिए केन्द्र सरकार भी 9.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने के लिए सहमत हो गई। गत वर्षों में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास स्कीमों पर औसतन 2.00 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के मुकाबले में चालू वित्त वर्ष में ऐसी ही स्कीमों पर 18.82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास स्कीमों पर खर्च वर्ष 1979-80 में और बढ़ा कर 20.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास निर्माण कार्यों से रोहतक जिले के झज्जर, बहादुरगढ़, चुडानी तथा भूपानिया क्षेत्रों की तथा गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र की, जोकि बाढ़ों से अत्यन्त प्रभावित है, बाढ़ों से रक्षा हो जायेगी। जो निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं वे इस प्रकार हैं उजीना मोड़ नाला साहिबी पर मसानी बांध का निर्माण गांवों के गिर्द रिंग बांधों का निर्माण, वर्तमान नालों का निर्माण करना तथा उन्हें गहरा करना, इनमें नजफगढ़ नाला शामिल है जिसकी क्षमता को 3000 से बढ़ाकर 10000 क्यूजेक रकने का निर्माण कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना है, तथा अलग थलग गढ़ों को मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ने के लिए योजक नालों का निर्माण। आशा है कि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप आगामी पांच वर्षों में राज्य का बाढ़ों से काफी बचाव हो जायेगा।

यह निर्विरोध रूप से कहा जा सकता है कि हरियाणा राज्य के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा बाढ़ बचाव तथा बाढ़ सहायता का इतना व्यापक कार्यक्रम पहले कभी नहीं किया गया।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1983-84 के अन्त तक हरियाणा की अधिकतम मांग के 1304 मेगावाट तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। इस मांग को पूरा करने के लिए 2200 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अपेक्षित है इसके मुकाबले 1983-84 के अन्त तक राज्य में 1560 मेगावाट की क्षमता उपलब्ध होने की संभावना है। इस प्रकार लगभग 640 मेगावाट की कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, बिजली उत्पादन स्कीमों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 1979-80 की आयोजना में, 62.24 करोड़ रुपए की कुल वार्षिक बिजली आयोजना में से 34.98 करोड़ रुपए की राशि बिजली उत्पादन स्कीमों के लिए रखी गई हैं। 21.98 करोड़ रुपए की राशि निम्नलिखित चालू स्कीमों के लिए रखी गई है:- ब्यास परियोजना यूनिट I, देहर, ब्यास यूनिट II, पौंग, देहर विस्तार, पौंग विस्तावर, 2x60 मेगावाट ताप बिजली घर, फरीदाबाद, 60 मेगावाट तीसरा यूनिट, फरीदाबाद, 2x110 मेगावाट ताप बिजली घर, पानीपत और 2x110 मेगावाट ताप बिजली घर, पानीपत II चरण। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना, पानीपत में 2x110 मेगावाट वाला ताप बिजली घर चरण II तथा यमुनानगर में 4x200 मेगावाट वाला ताप बिजली घर जैसी राज्य में बिजली पैदा करने वाली नई स्कीमों के

लिए 13.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 1020 मेगावाट तिब्बती पैदा करने की क्षमता वाली नाथपा झाकरी परियोजना तथा जम्मू और काश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर 390 मेगावाट की दलहस्ती परियोजना नामक दो पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण भी भारत सरकार के राष्ट्रीय पन-बिजली परियोजना निगम द्वारा शुरू किया जाना प्रस्तावित है और इन परियोजनाओं से हरियाणा राज्य के लिए अधिक से अधिक हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है। उत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश में 600 मेगावाट वाली कोल बांध पन-बिजली परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव भी है।

वर्ष 1977-78 में देहरादून के स्थान पर 165 मेगावाट के दो सेट और ब्यास परियोजना पर पौंग के स्थान पर 120 मेगावाट के दो सेट चालू किए गए। देहरादून पर सेट सं. 3, नवम्बर, 1978 में चालू किया गया और सम्भावना है कि सेट सं. 4, की मशीनें मार्च, 1979 तक काम करना शुरू कर देंगी। पौंग का सेट सं. 3, अक्टूबर 1978 में और सेट नं. 4, मार्च, 1979 तक चालू किए जाने की संभावना है।

हरियाणा की ताप बिजली की स्थापित क्षमता 197.50 मेगावाट है। थर्मल प्राजैक्ट, पानीपत के पहले और दूसरे 2x110 मेगावाट के सेट 1979 के मध्य में चालू हो जाने की संभावना है। 60 मेगावाट थर्मल प्राजैक्ट का तीसरा यूनिट सितम्बर 1979 में

चालू हो जाने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 1979 के अन्त तक ताप-बिजली की स्थापित क्षमता 477.50 मेगावाट तक और कुछ स्थापित क्षमता 1131.50 मेगावाट तक बढ़ जायेगी।

इस प्रकार पैदा की गई बिजली को खर्च करने के लिए पारेण लाइनों का जाल बिछाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए 1979-80 के लिए 14.45 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

गांवों में बिजली लगाने और कृषक उपभोक्ताओं आदि को नये कनेक्शन देने जैसे सामान्य विकास कार्यों के लिए 12.11 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। वर्ष 1979-80 के दौरान हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड लगभग 15000 नये नलकूपों को बिजली देने का विचार रखता है। इस प्रकार बोर्ड लगभग 44 लनकूपा कनेक्शन प्रतिदिन देगा। वि. व. बैंक की वित्तीय व्यवस्था से चल रही सिंचाई अधीन क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन गांवों को जल सप्लाई के लिए 1.20 करोड़ रुपये की लागत से लघु सिंचाई नलकूप निगम के 385 आवर्धन नलकूपों को बिजली देने का प्रस्ताव भी है। वर्ष 1979-80 के दौरान 62780 अन्य अतिरिक्त कनेक्शन देने का भी प्रस्ताव है।

राज्य में 6731 गांवों में से 300 गांवों में पहले से ही सड़क रोानी की व्यवस्था की जा चुकी है। यह सुविधा भोश गांवों को भी क्रमि कार्यक्रम में प्रदान करने का प्रस्ताव है। इनके

अन्तर्गत प्रति वर्ष 500 गांवों को उक्त सुविधा जुटाने का ख्याल है।

इन विकासात्मक कार्यों से आगामी वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड की राजस्व प्राप्तियां 56.86 करोड़ रुपये से बढ़ कर 79.06 करोड़ रुपये हो जाने की प्रत्याशा है।

यह देख कर खुशी होती है कि किसानों की अमली कठिनाइयों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। उन्हें नलकूपों के लिए दिन के समय में बिजली कभी कभार ही दी जाती थी। इसके अतिरिक्त, सप्लाई प्रतिदिन 8 घंटे तक सीमित थी। अब लगभग 22 घंटे प्रतिदिन बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की गई है जिसमें आधी सप्लाई दिन के समय दी जाती है। अप्रैल, 1978 से पूर्व किसानों से बिजली का खर्च मीटरों की खपत के अनुसार वसूल किया जाता था। किसानों ने इस पद्धतिके विरुद्ध प्रतिवेदन किया। वर्ष 1978-79 में किसानों की यह शिकायत दूर की गई और उन्हें विकल्प दिया गया है कि वे मीटर पद्धति या सामान्य दर पद्धति में से किसी एक को चुन लें। जिन किसानों ने सामान्य दर पद्धति को चुना था वे भी नलकूपों पर लगी अपनी कुट्टी मशीनों को चलाने के लिए अलग से खपत में लाई गई बिजली के प्रभारों की छूट के लिए मांग कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देने में हर्ष का अनुभव करता हूं कि आगामी वर्ष से ऐसी कुट्टी मशीनें समान दर प्रणाली में शामिल की जायेंगी और ऐसे कार्यों के लिए उनसे अलग प्रभार वसूल नहीं किये जायेंगे।

हरियाणा के गठन के पचास बियली सप्लाई की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जून, 1977 में बिजली उत्पादन 66 लाख यूनिट प्रतिदिन तक बढ़ गया जबकि राज्य के गठन के समय यह 17 लाख यूनिट था। चालू वर्ष में प्रतिदिन बिजली उत्पादन 85 लाख यूनिटों तक बढ़ गया है। इसी प्रकार स्थापित उत्पादन क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई है। जून, 1977 में, हरियाणा की स्थापित क्षमता 615.50 मेगावाट तक बढ़ गई जबकि नवम्बर 1966 में यह क्षमता 353.00 मेगावाट थी। चालू वर्ष में स्थापित क्षमता 740 मेगावाट तक बढ़ गई है।

कृषि उत्पादन

राज्य के भीघ आर्थिक विकास में कृषिया का स्थान अत्याधिक महत्वपूर्ण है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रारम्भिक पिछडेपन के बावजूद हरियाणा ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में प्रभाव ाली प्रगति की है। किसानों ने प्रायः कृषिया के वैज्ञानिक एवं आधुनिक ढंग अपना लिए हैं। उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग क्रम ा: बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के कृषि उत्पादन में प्रभाव ाली वृद्धि हुई है।

हरियाणा में वर्ष 1966-67 में 25.92 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1976-77 में 52.50 लाख टन

खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वर्ष 1978-79 में राज्य का लक्ष्य 58.40 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन करने का है। इसमें से, 17.80 लाख टन का उत्पादन खरीफ में और 40.60 लाख मी० टन का उत्पादन रबी में किया जाना था। अत्यधिक वर्षा से अभूतपूर्व बाढ़ें आईं, जिसके परिणामस्वरूप बाजरा, मकई और जवार की खड़ी फसलों को भारी हानि पहुंची। इसे बावजूद, अनुमान है कि खरीफ में 17.80 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल का उत्पादन गत वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक हुआ है और यह वर्ष 1977-78 में 9.64 लाख टन के उत्पादन के मुकाबले वर्ष 1978-79 में लगभग 12.50 लाख टन तक पहुंच गया है।

खरीफ के मौसम में धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के 12670 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज 166.67 रुपये प्रति क्विंटल की इमदादी पर किसानों में बांटे गये थे, इमदादी रकम 27 रुपये प्रति क्विंटल थी, 6718 क्विंटल संकर बाजरे के बीज भी राज्य में बांटे गये थे। चालू रबी की मौसम में अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों के 51500 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज किसानों में बांटे गये हैं। इन बीजों पर इमदादी रकम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 75 रुपये प्रति क्विंटल तथा अन्य क्षेत्रों में 25 रुपये प्रति क्विंटल थी। चने के कुल 12500 क्विंटल प्रमाणीकृत बीज 220 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बांटे गये और इनमें इमदादी रकम 150 रुपये प्रति क्विंटल थी। चने की उपज बढ़ाने के लिए चने के लगभग

62500 राइजोबियम कल्चर भी इमदादी दरों पर बांटे गये थे। दिल्ली के चारों ओर 40 मील के घेरे में आने वाले गांवों की आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए सब्जी उत्पादन तथा मुर्गीपालन आदि के विकास का बृहत् कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

1978-79 के दौरान 2.00 करोड़ रुपये की रासायनिक खाद की सहायता दिये जाने की संभावना है तथा विभाग ने प्रयत्न किए हैं कि रासायनिक खादों की खपत अधिकाधिक हो। 1979-80 के लिए रासायनिक खाद की खपत के लिए चालू वर्ष के 2.40 लाख टन की तुलना में 2.80 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने पौधों के बचाव उपायों को भी तेज कर दिया है। कपास तथा तिलहन के क्रम 1: 31600 हैक्टेयर और 12672 हैक्टेयर क्षेत्र पर हवाई फुहार की गई।

वर्ष 1979-80 के लिए 60 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। चावल तथा गेहूं के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जायेगा।

हरियाणा में कृषि उत्पादन में वृद्धि का एक मुख्य कारण उथले नलकूपों द्वारा भूगत जल स्रोतों का संतुलित विकास है। अप्रैल, 1967 में उथले लघु सिंचाई यूनिटों और पंपिंग सैटों की संख्या 27957 थी जबकि अप्रैल, 1977 को यह संख्या बढ़ कर 221592 हो गई। 1978-79 के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर

240857 हो जाने की संभावना है और वर्ष 1979-80 के अन्त में यह संख्या 2.53 लाख तक बढ़ जायेगी। लघु सिंचाई (नलकूप) की गति को बनाये रखने के लिए जुलाई, 1978 से आरम्भ करके 3 वर्ष की अवधि के दौरान 20000 उथले नलकूप और 1800 पंपिंग सैट लगाने के लिए भूगत जल विकास स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। इन स्कीमों पर कुल 2413.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान कुल 282.00 लाख रुपये के खर्च पर 2460 उथले नलकूप और 75 पंपिंग सैट लगाये गये हैं।

वर्ष 1978-79 में 3000 हैक्टेयर की वास्तविक उपलब्धि के मुकाबले में वर्ष 1979-80 में मिट्टी तथा जल व्यवस्था उपायों के लिए 3500 हैक्टेयरका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1979-80 में 96000 हैक्टेयर भूमि का भू-सर्वेक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1979-80 में भू-सर्वेक्षण के लिए केन्द्र चालित स्कीम भुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

लवणी तथा क्षारीय भूमि को सुधारने तथा भूमि को समतल करने की स्कीमों और वि. शेष रूप से उठान सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई अधीन क्षेत्र की स्कीम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम को और सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 1978-79 के दौरान निगम ने 13400 एकड़ भूमि का सुधार किया है तथा 6010 एकड़ क्षेत्र पर भू समतलन का कार्य भी किया है। छोटे किसानों को जिप्सम पर 33.

5 प्रति ात तथा अन्य किसानों को 25 प्रति ात की रियायत दी जा रही है और वर्ष 1979-80 के दौर भी इस स्कीम को चालू रखने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 71.39 लाख रुपये आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देने का उपबन्ध किया गया है।

कृषि विस्तार की बेनोर अथवा 'प्रि ाक्षण तथा निरीक्षण' प्रणाली का प्रचालन चालू वर्ष की रोचक एवं नई बात है। इस योजना के द्वारा अनुसंधान वैज्ञानिकों/विशय वि ेशज्ञों से प्रौद्योगिकी के विस्तार कार्यकर्ताओं विि ाष्टतः आधार स्तर के कार्यकर्ताओं अर्थात् कृषि विकास अधिकारियों को, जो इस जानकारी को अन्ततः किसानों तक पहुंचायेगे, अन्तरण में बहुत सुविधा होगी। एक कृषि विकास अधिकारी लगभग 700 किसान परिवारों का मार्ग द िन देगा।

प ापालन

हरियाणा में प ाधन बहुत है और यह 'मुराह भैंस' और 'हरियाणा गाय' की वि व प्रसिद्ध नस्लों का घर समझा जाता है। हमने चयनात्मक प्रजनन द्वारा न केवल आने प ाधन को सुरक्षित रखने और इसमें सुधार लाने का प्रयास किया है अपितु संकरण और कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा देसी प ाओं के सुधार पर भी जोर दिया है।

पशु प्रजनन के क्षेत्र में, भारत आस्ट्रेलियाई पशु प्रजनन परियोजना, हिसार को आस्ट्रेलिया सरकार की सहायता से हिम पीत भुक्र बैंक से सज्जित किया जाएगा और इसके लिए भीष्म ही उपस्कर प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रकृष्ट पशु विकास परियोजना अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र और भिवानी, जिनका 1978-79 के दौरान एक प्रादेशिक कृत्रिम सेचन केन्द्र और 15 पशुपाल केन्द्र स्थापित करके विस्तार किया जा रहा है, अतिरिक्त प्रजनन सेवाओं और प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करेंगीं राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की मुराह भैंसों में से बूढ़ी और घटिया भैंसे निकाल कर उनके स्थान पर बढ़िया अधिक दूध देने वाली भैंसें रख कर उसे बेहतर बनाया जाएगा।

मुर्गीपालन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किये जाने की गुंजाइश है क्योंकि दिल्ली हमारे राज्य के निकट है। देहाती शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करने और मुर्गीपालन उत्पादकता में वृद्धि करने के दोहरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान 1000 मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अधीन बैंकों से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था भी की गई है कि इस योजना से लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रूपये की अधिकतक सीमा तक पूंजीगत निवेश के 25 प्रतिशत तक का सहायतानुदान दिया जाए।

अम्बाला जिला में मुर्गीपालकों के निकृष्ट पक्षियों तथा अण्डों को बाजार में बेचने के उद्देश्य से अम्बाला में एक मुर्गीपालक संघ की स्थापना भी की जाएगी। वर्ष 1979-80 में केन्द्रीय सहायता से विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3605 परिवारों के लिए सहायक धन्धे उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य है।

ऊन दर्जाबन्दी तथा विपणन केन्द्र, लोहारू ने वैज्ञानिक दर्जाबन्दी करने के पश्चात् ऊन उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त भेड़ पालने वाले लोगों को ऊन बेचने और उनके घरपर ही उन्हें बाजारी भाव पर उचित कीमत अदा करने में काफी सहायता की है। वर्ष 1979-80 के दौरान ऊन की खरीद के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह केन्द्र इस ऊन का कोटि अंकन करेगा तथा बाद में इसे मिल मालिकों आदि को बेचेगा।

राज्य में पशुओं के रोगों का प्रभावी रूप से नियंत्रण करने तथा उनकी सेहत की रक्षा करने के लिए वर्ष 1978-79 में 20 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाने के अतिरिक्त 30 नई पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां स्थापित की गई हैं। वर्ष 1979-80 में विभाग 20 डिस्पेंसरियों/पशुपालन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर नियमित पशु-चिकित्सा हस्पताल बनाने के इलावा लगभग 3 लाख रुपये के अनुमानित खर्च पर 20 नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलने की योजना बना रहा है।

डेरी विकास

कृषि प्रधान हरियाणा राज्य में डेरी उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की आय में लगभग 7.5 प्रति शत दूध तथा दूध निर्मित पदार्थों का अंश आदान है। इसलिए डेरी उद्योग में महत्वपूर्ण अतिरिक्त उत्पादन न केवल राज्य में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए आवश्यक है अपितु ग्रामीणों की समृद्धि, उनके स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली के लिए भी जरूरी है।

11.00 बजे

विभाग ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों आरम्भ की हैं। वर्ष 1979-80 में डेरी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 84.60 लाख रुपये का उपबंध किया गया है। विशेष ग्रामीण रोजगार स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1979-80 में 1500 छोटी डेरी यूनिटों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए 70.20 लाख रुपये की राशि का उपबंध किया गया है।

हरियाणा डेरी विकास निगम के चार दूध संयंत्र जींद, भिवानी, अम्बाला तथा रोहतक (प्रत्येक स्थान पर एक-एक) में चल रहे हैं। इन संयंत्रों की कुल प्रबन्ध क्षमता 185000 लिटर प्रतिदिन की है। इन संयंत्रों को दूध सप्लाई करने के लिए विभिन्न स्थानों

पर 7 अव पीतन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। 1978-79 में अव पीतन क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ाई जानी है। बल्लभगढ़ में स्थापित किया जाने वाला दूध संयंत्र भीघ्र ही चालू हो रहा है। यह संयंत्र प्रतिदिन 50000 लिटर दूध संभालेगा। मरू विकास कार्यक्रम के अधीन और दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आप्रे इन फलड का तकनीकी इनपुट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अधीन की गई विभिन्न कर्वावाहियों से दूध उत्पादन के बढ़ जाने की आशा है। भारतीय डेरी विकास निगम जून 1979 के आसपास 'आप्रे इन फलड' के दूसरे चरण को आरम्भ करेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत मरू विकास कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर हरियाणा के सभी जिलों को शामिल किया जायेगा।

दूध की अधिप्राप्ति दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। अब तक 1335 सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में निगम के वीटा उत्पादन का विक्रय 532.56 लाख रुपये का हुआ है।

सहकारिता

हरियाणा में सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, स्वतः रोजगार, कृषि इनपुटों के वितरण, कृषि उत्पादन के विपणन, दूध के संग्रहण तथा विधायन, उपभोक्ता सामान की सप्लाई, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने औऱ सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की आर्थिक दायता में सुधार लाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका आद की है।

हरियाणा में सहकारिता आन्दोलन ने जारे पकड़ा है ओर हाल ही के वर्षों में ऋण समितियों के सदस्यों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उधार लेने वालों को राहत देने के लिए 1-7-1978 से अल्पावधि कर्जों पर ब्याज की दर 14 प्रति शत से घटाकर 11 प्रति शत कर दी गई है। हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ ने कुछ कृषि आधारित परियोजनाएं बनाई हैं और अब दो बेलन संयन्त्रों तथा बिनौला विधायन संयन्त्र की स्थापना करने की योजना बना रहा है। वर्ष 1978-79 के लिए सहकारिता विभाग की विभिन्न स्कीमों के वास्ते कुल 3.32 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है।

विश्व बैंक ने 1.25 लाख टन की संग्रहण क्षमता वाले 1500 देहाती गोदामों के निर्माण में प्राथमिक सहकारी उधार एवं सेवा समितियों की सहायता करना मान लिया है। 2.14 लाख टन की संग्रहण क्षमता वाले 70 गोदामों के निर्माण में हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई एवं विपणन संघ को सहायता देने के लिए भी

वि व बैंक इतनी ही सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना पर 15.35 करोड़ रूपये की परिव्यय होगा।

कर्जों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने और दुर्विनियोजन तथा गबन के अवसर कम करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।

पंचायतें

लगभग सत्ता वर्ष के पचात्, जून 1978 में हरियाणा में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव किये गये थे। सरपंचों तथा पंचों का सर्वसम्मति से चुनाव करने हेतु पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए 54.90 लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया है।

अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को समान आधार पर अनुदान देने के लिए 1.00 करोड़ रूपये की राशि रखने का भी प्रस्ताव है।

वन

हरियाणा जैसे राज्य के लिए, जिसे राजस्थान की ओर से भयंकर रूप से बढ़ रहे मरुस्थल और बार-बार सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः

उस राज्य की ओर बढ़ रहे मरुस्थल को रोकने के प्रयास में राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में भू-संरक्षण और वृक्ष रोपण के विशेष प्रयास किए गए हैं।

1978-79 के दौरान कुल 164.80 लाख रुपये की लागत पर 5120 कतार किलोमीटर और 7915 हैक्टेयर में वन रोपण किए जाने की सम्भावना है। 1979-80 के दौरान विभाग की आयोजना है कि कुल 238 लाख रुपये की लागत पर 8925 कतार किलोमीटर और 9155 हैक्टेयर में वन रोपण किया जाए।

वार्षिक आयोजना 1979-80 में उपबन्धित सभी स्कीमों में श्रम केन्द्रित हैं और उनका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी और कम रोजगार वालों को रोजगार प्रदान करना है।

मछली पालन

हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही अन्य राज्य स्कीमों के माध्यम से मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा भुर्रु किये गये विस्तार कार्यक्रम पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देहाती लोगों में मछली पालन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। मछली पालन कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए बढिया किस्म के डिम पोना की पर्याप्त संख्या होनी आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में डिम पोना उत्पादन पर अधिक बल दिया गया। विभाग ने 12

डिम पोना केन्द्र स्थापित किये हैं और अब तक 25 लाख डिम पोना पैदा किये गये हैं। 40.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 1979-80 में 15 डिम पोना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

राज्य को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग पूरक परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। अतः राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास लाने के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता है। वर्ष 1978-79 में राज्य सरकार ने उद्योग के सभी क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया तथापि, ग्रामीण औद्योगिकरण तथा छोटे पैमाने के यूनिटों पर और अधिक बल दिया गया।

हमारी औद्योगिक नीति के केन्द्र बिन्दु ग्रामीण औद्योगिकरण के सराहनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए उधार सुविधायें, तकनीकी मार्गदर्शन, कच्चे माल की सप्लाई, विपणन सुविधायें तथा निर्मित स्थान आदि के रूप में सहायता देने के लिए एक विस्तृत स्कीम आरम्भ की गई ताकि गांवों में छोटे उद्यमकर्ता लघु? तथा छोटे यूनिट स्थापित कर सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्र में न केवल स्वतः रोजगार के अवसर पैदा हुए परन्तु इससे गांवों में समृद्धि की लहर भी दौड़ गई तथा उन ग्रामीण उद्यमकर्ताओं में एक नया विश्वास भी उत्पन्न हुआ जिनकी योग्यता पहले प्रायः

सुप्त एवं अप्रयुक्त रही है। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्रोत्साहनीय श्रीगणेश स्थापित किया गया। वर्ष 1977-78 में 110 यूनिटों के लक्ष्य के मुकाबले में विभाग द्वारा 127 यूनिट स्थापित किये गये और आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक इस स्कीम के अधीन 330 और यूनिट स्थापित कर दिए जाएंगे। इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए 15 मार्च, 1979 से एक विशेष अभियान आरम्भ किया जा रहा है। भारत सरकार की नीति के अनुसार हरियाणा के सभी ग्यारह जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं का अभिनिर्धारण, सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, कच्चे माल की सप्लाई करना तथा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि जैसी सभी प्रकार की सहायता एक स्थान पर जुटानी होगी।

और अधिक रोजगार अवसर, विशेषतः देहाती क्षेत्रों में जुटाने के लिए राज्य सरकार ने देहाती क्षेत्रों में छोटे यूनिटों के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्भाव्यता रिपोर्टों की निःशुल्क सप्लाई, सात वर्षों की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट, दो वर्षों की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट, 20 प्रतिशत मूल्य अधिमान तथा कच्चे माल का 50 प्रतिशत अतिरिक्त आबंटन शामिल है।

उद्योग प्रोत्साहन विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह औद्योगिक

प्रतिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न इंजीनियरी तथा गैर इंजीनियरी व्यवसायों का प्रतिक्षण दे रहा है। 1978-79 के दौरान दो नये उद्योग प्रतिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे।

हरियाणा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना में लाभकारी भूमिका अदा कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी 1979 तक बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 74.00 लाख रुपये की राशि वितरित की। वर्ष 1979-80 में, बोर्ड इस प्रयोजन के लिए 190.00 लाख रुपये से अधिक राशि वितरित करने की योजना बना रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि राज्य सरकार ने खादी आयोग तथा हरियाणा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त यूनिटों के निर्माण को और बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों को बिक्री कर की अदायगी से छूट देने का निर्णय लिया है।

हाल ही में सरकार के राज्य उपक्रमों विशेषतः सिक यूनिटों के कार्य को मुख्यतया सुचारु रूप से चलाने के विचार से वित्त विभाग (निवेश-कक्षा) द्वारा उनका विस्तृत निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

सड़कें

सड़कें, अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है और कृषि तथा औद्योगिक प्रगति के उन्नयन में एवं अकाल तथा बाढ़ों जैसी आपात परिस्थितियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संतोश का विशय है कि राज्य में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई पर्याप्त बढ़ गई है। हरियाणा के गठन के समय 5100 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले केवल 1386 गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए थे। हाल ही के वर्षों में सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रति हुई है और पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 16050 कि.मी. तक बढ़ गई है और 4550 गांव इनके अन्तर्गत आते हैं। राज्य सरकार ने 1982 तक प्रत्येक गांव के लिए पहुंच सड़की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान नयी सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर 9.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 150 और गांवों के लिए 400 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली रोहतक सड़क के दिल्ली बहादुरगढ़ भाग और जी.टी. रोड के दिल्ली मूर्थल भाग को चार लने सड़कों में बदलने और पानीपत में उपमार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव भी भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे गए हैं।

इस वित्त वर्ष के दौरान वर्षा जल के प्रति निकास तथा सिंचाई जल को नयी बनाई गई सड़कों के पार ले जाने के लिए दिसम्बर 1978 तक 556 नालों का निर्माण पूरा कर लिया गया। दिसम्बर 1978 तक लगभग 2300 कि.मी. लम्बी सड़कों को

चौड़ा भी किया गया तथा 770 कि.मी. सड़कों की सतह ठीक की गई।

राज्य में बड़े पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिन महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण हो रहा है, लगभग 41.00 लाख रुपये की लागत का टांगरी नदी पर पुल, लगभग 3.00 करोड़ रुपये की लागत का यमुना नदी पर पलवल पुल, 68.00 लाख रुपये की लागत का अम्बाला भाहर में उपरिगामी पुल, 27.00 लाख रुपये की लागत का दिल्ली मथूरा सड़क को पार करता उजीना डाइवर्निंग ब्रिज वालापुल और 1.00 करोड़ रुपये की लागत का जी.टी. रोड़ पर भाहाबाद मारकंडा पुल।

वर्ष 1979-80 के दौरान राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए 12.00 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है। यह प्रत्याशित है कि 1979-80 में लगभग 550 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा जो 300 गांवों में जायेंगी।

सड़कों के अतिरिक्त सार्वजनिक महत्व के भवनों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने दिल्ली के नहर विश्रामगृह को सुविधाजनक स्थिति और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप होने के कारण उसे किसान लॉज में बदलने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान हस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 129.00 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं। चालू

वित्त वर्ष के दौरान स्कूलों तथा कालिजों के भवनों के निर्माण पर 38.00 लाख रुपये की रकम खर्च की जा रही है।

करनाल के निकट मधुबन में स आस्त्र पुलिस मुख्यालय के परिसर का विस्तार किया गया है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण पहले ही हो चुका है। सफीदों, राई, सोनीपत, बवानी खेड़ा, बल्लभगढ़, जींद तथा साम्पला में पुलिस थानों के निर्माण का काम भुरू हो चुका है। विभिन्न स्थानों पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत से रिहायगी मकान निर्माणधीन हैं। भिवानी में जिला जेल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बवानी खेड़ा का नया जेल भवन पूरा होने वाला है।

किसानों को विपणन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में मण्डियां निर्माणधीन हैं। इस उद्देश्य के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 29.60 लाख रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

परिवहन

वर्ष 1978-79 के दौरान हरियाणा रोडवेज के परिचालन में पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है। चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 2178 बसों की वर्तमान संख्या में 350 नई गाड़ियां बढ़ाने

का प्रस्ताव है। वर्ष 1979-80 में 392 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इससे हरियाणा रोडवेज देहाती क्षेत्रों में अधिक बसें चला सकेगा। राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन लगभग 6.00 लाख यात्रियों के लिए परिवहन सेवा प्रदान करती हैं और प्रतिदिन 5.00 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है।

वर्ष 1979-80 में सिरसा, जींद, कनीना, पलवल तथा पुंडरी आदि में नए बस अड्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। यमुनानगर तथा सोनीपत में बस अड्डा तथा वर्क हाप केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर 100 बस क्यू भौल्टर बनाए गए हैं और वर्ष 1979-80 में लगभग 150 अतिरिक्त बस क्यू भौल्टर बनाए जाने का प्रस्ताव है। किफायत तथा कुशलता को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने गुड़गांव में लघु पैमाने पर बस बाडियां तैयार करने का काम शुरू कर दिया है और आगामी वर्ष में इन कार्यों को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव है। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त ट्रैक्टरों पर से 150 रुपये प्रति ट्रैक्टर वार्षिक के सांकेतिक कर की अदायगी से छूट दे दी गई है। मासिक पास वाले विद्यार्थियों को जनवरी, 1979 से किराये में छूट दी गई है। सरकार ने हाल ही में भारीरूप से विकलांग व्यक्तियों को भी हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

पंजाब मोटर दुर्घटना दावा नियमावली, 1964 के अन्तर्गत 10000 रुपये से अधिक के मुआवजा दावों के लिए निर्धारित न्यायालय भुल्क अधिक होने के कारण उन दुर्भाग्य गाली दावेदारों, जो कई बार निर्धन, विधवा अथवा अवयस्क होते हैं, को अत्याधिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिये सरकार का प्रस्ताव है कि ऐसे दावेदारों की कठिनाई कम करने हेतु सम्बद्ध नियमावली में उपयुक्त संवैधानिक संशोधन किये जाएं ताकि 40000 रुपये तक के सभी दावों पर 10 रुपये की दर से न्यायालय भुल्क लागू हो सके।

पर्यटन

यह आश्चर्य की बात है कि पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मैंने आश्चर्य इसलिये व्यक्त किया है, क्योंकि प्रकृति ने तो हमें दिया ही बहुत थोड़ा है जिसे हम पर्यटन विकास हेतु काम में ला सकें। तथापि पर्यटन का मानचित्र देखने से यही स्पष्ट होता है कि हरियाणा का पर्यटन कार्य वस्तुतः मानव निर्मित है और मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि ऐसा अंततः हमारे राष्ट्र की राजधानी के समीप होने के कारण और अंततः पर्यटन विकास में हमारी इच्छा शक्ति तथा योग्यता के कारण हुआ है। पर्यटकों तथा स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में बनाये गये

अनेक पथ पा र्व केन्द्र और पर्यटन रेस्तरां इस क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। साधारण पर्यटकों के लिए अधिकां गा केन्द्रों में सस्ते आवास स्थान की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास पर 75.50 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। कुछ वर्तमान पर्यटन केन्द्रों में अतिरिक्त सेटों तथा रेस्तरां की व्यवस्था करने के अतिरिक्त सिरसा जिले के अबूब भाहर में नये पर्यटन केन्द्र का निर्माण हाल ही में भुरु किया गया है। वर्ष 1979-80 के लिए वर्तमान केन्द्रों में पर्यटकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने तथा सिरसा, कैथल, अम्बाला और रिवाड़ी में नये पर्यटन रेस्तरां खोलने के लिए 66.00 लाख रूपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

ि ाक्षा

ि ाक्षा विभाग, हरियाणा सभी स्कूल जाने योग्य बच्चों को भौक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने तथा वयस्कों में निरक्षरता के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस समय प्राइमरी में लगभग 11.46 लाख, मिडल में 4.07 लाख तथा उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में एक लाख से भी अधिक विद्यार्थी हैं। कालिजों में दाखिले की संख्या में वृद्धि हुई है तथा इस समय राज्य में उच्चतर ि ाक्षा की विभिन्न संस्थाओं में 84000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 1979-80 के दौरान 6-11 वर्ष के आयुवर्ग के 85000 बच्चों को

शिक्षा देने का प्रस्ताव है। अधिक बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा उन्हें स्कूलों में रखने के लिए 3973 प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत 4.22 लाख विद्यार्थी आते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न रूकावटों के बावजूद वर्ष 1978-79 के दौरान 71 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडल स्कूल तथा 40 मिडल स्कूलों को उच्च स्कूल बना दिया है। वर्ष 1979-80 में 90 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर मिडल स्कूल तथा 90 मिडल स्कूलों को उच्च स्कूल बनाने का प्रस्ताव है। जरूरतमन्द विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी 7042 स्कूलों में बुक बैंकों की स्थापना भी की गई है।

महिलाओं, हरिजनों तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों को शिक्षा देने के लिए 2 अक्टूबर, 1978 से एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 के अन्त तक राज्य में 3300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा 10+2+3 को लागू करने के लिए सभी सरकारी मिडल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को 55.00 लाख रुपये की लागत से सज्जित किया गया है। सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस प्रणाली को 1-4-79 से नौवीं कक्षा से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

विद्यालय शिक्षा में गणात्मक सुधार लाने के लिए सभी वर्गों के अध्यापकों के लिए एक भारी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

चलाया गया था और इसे जारी रखा जा रहा है। 1978-79 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अधीन 32550 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिये जाने की सम्भावना है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षा को लागू करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हरियाणा को दो विविद्यालयों के होने का सौभाग्य प्राप्त है - एक कुरुक्षेत्र में और दूसरा रोहतक में। इन विविद्यालयों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान रोहतक विविद्यालय के लिए 150.00 लाख रुपये तथा कुरुक्षेत्र विविद्यालय के लिए 108.44 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है तथा वर्ष 1979-80 के लिए क्रमशः 200.00 लाख रुपये तथा 141.44 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी कालिजों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कालिजों के घाटे का 75 प्रतिशत पूरा करने का निर्णय लिया है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत पर वर्ष 1978-79 में 20.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

वर्तमान विविद्यालय अधिनियम (अधिनियमों) में गैर सरकारी कालिजों के प्राध्यापकों की सेवा सुरक्षा के संबंध में अपर्याप्त उपबन्ध के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित कानून बनाया जाए।

सरकार ने वर्ष 1973 से पूर्व तथा 1-1-1973 से 9-3-1973 तक की अवधि के दौरान तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए लगभग 11170 तदर्थ / वृत्तिक अध्यापकों / अध्यापिकाओं / सी एंड वी अध्यापकों तथा जे.बी.टी. अध्यापकों की सेवाएं 1-1-1979 से नियमित कर दी हैं।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाओं में नकल करने की कुप्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित विविध उपाय किये गये हैं:-

(क) नकल करने की बुराई को रोकने के लिए 83 उड़न दस्तों की स्थापना।

(ख) परीक्षा केन्द्रों की आकस्मिक मंसूखी के सम्बन्ध में लोगों की गलत भांका दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षाओं के लिए आरक्षण केन्द्र बनाए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए 10.00 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के सुधार की ओर भी ध्यान दिया है। जिन गैर सरकारी स्कूलों को कुठारी आयोग के अधीन अनुदान दिया जाता था, वे वर्ष 1974-75 से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे थे, यद्यपि उनके विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। राज्य सरकार ने अध्यापकों के वेतनों के लिए 3.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया है

ताकि ये गैर सरकारी स्कूल अपने अध्यापका/विद्यार्थी अनुपात में सुधार कर सकें। सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने, कन्या विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने और उनके लिए नए स्कूल खोलने के लिए वचनबद्ध है।

खेलें

अनुशासन तथा सहनशीलता के गुणों के विकास तथा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका खेलें अदा करती हैं, उससे सरकार भली भांति परिचित है। खेलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए खेल-कूद विभाग, हरियाणा द्वारा अनेक स्कीमें बनाई गई हैं। इन सभी स्कीमों के लिए वर्ष 1979-80 में 114.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालयों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति पर विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण विचारों का आयोजन किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान, 33 प्रशिक्षण विचारों का आयोजन किया गया था जिनमें 1275 खिलाड़ियों ने सहनशील प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेल कूद विभाग द्वारा स्थापित मोती लाल नेहरू खेल कूद स्कूल, राई सोनीपत, एक अद्वितीय संस्था है। इस स्कूल में विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

विभाग, प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक एक स्टेडियम स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। इस प्रयोजन

के लिए वर्ष 1978-79 के दौरान 4.0 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा उत्कृष्ट तथा होनहार खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दी जाती है।

हरियाणा में खेलों के विकास की पर्याप्त सम्भावना है। ग्रामीण खेल कूद केन्द्र स्थापित करने वाला यह पहला राज्य है। वर्ष 1979-80 के अन्त तक ऐसे 374 केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है। सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम भी भुरु की है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1978-79 के दौरान 2.58 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। कु ती हरियाणा का अत्यधिक लोकप्रिय खेल है, उसे प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में जिला/खण्ड स्तरों पर कु ती केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने नीचे दिये विवरण अनुसार पुरस्कार जीते:-

क्रम.	नाम	खेल का नाम	जीता गया पुरस्कार
1	श्री महावीर सिंह	कु ती	अगस्त, 1978 में अलबूकर्क में आयोजित वि व स्कूली लड़कों की 49 किलोग्राम कु ती तथा अपने वजन की

			राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
2	श्री जयपाल सिंह	कु ती	उक्त खेलों में 32 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
3	श्री जय सिंह	कु ती	उक्त खेलों में 30 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
4	श्री सती । कुमार	कु ती	उक्त खेलों में 36 किलोग्राम वजन की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
5	श्री राजेन्द्र सिंह	कु ती	1. अगस्त, 1978 में एडमोंटन (कैनेडा) में राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
			2. 8वीं एि ।याई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता।
6	श्री सतबीर	कु ती	1. अगस्त, 1978 में एडमोंटन (कैनेडा) में राष्ट्रमंडल खेलों

	सिंह		में 57 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
7	श्री जगदी ा	कु ती	एडमोंटन (कैनेडा) में राष्ट्रमंडल खेलों में 68 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
8	श्री ई वर सिंह	कु ती	एडमोंटन (कैनेडा) में राष्ट्रमंडल खेलों में 100 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
9	श्री बहादुर सिंह	एथलैटिक	12/78 की बैंकाक में हुई 8वीं एि ायाई खेलों में गोला फैंकने में रजत पदक जीता।
10	कुमारी गीता जुत् ती	एथलैटिक	उक्त एि ायाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता।
11	श्री संत कुमार	एथलैटिक	1. उक्त एि ायाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में चौथा

			स्थान प्राप्त किया।
			2. 1500 मीटर की दौड़ में पांचवां स्थान प्राप्त किया।

इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 57500 रुपये के नकद पुरस्कार दिये हैं।

स्वास्थ्य

वर्ष 1978-79 के लिए 259.86 लाख रुपये के परिव्यय के मुकाबले में वर्ष 1979-80 में 316.00 लाख रुपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है। विभाग क्रमिक रूप से प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक एक केन्द्र की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। बजट अनुमान 1979-80 में इस प्रयोजन के लिए 12.50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 1978-79 के दौरान 3 उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं जो उपचारात्मक तथा निवारक दोनों ही सेवाएं प्रदान करेंगे तथा एक ग्रामीण डिस्पेंसरी को उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्र में बदला गया है। 1978-83 की योजना अवधि के दौरान 133 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को भी उपसहाय स्वास्थ्य केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव है। प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें उचित रूप से सज्जित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभाग कलानौर, नारनौंद, मुंढाल, बचनी, पाली, चौटाला, बालू तथा डिंग आदि में नए हस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहा है। हस्पताल भवनों के निर्माण के लिए 148.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। सिरसा में जिला टी.बी. सेंटर खोलने के पचास सभी जिलों को राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर लागू कर रही हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम को पीछे धक्का पहुंचा था। इसे पुनर्जीवित करने के लिए अनुस्थापन प्रशिक्षण विधिवर आयोजित किए गए थे। देशी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत करने के लिए वर्ष 1978-79 की राज्य की योजना में 32.85 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। आयुर्वेद औषध निर्माण तथा अनुसंधान कार्य के पर्यवेक्षण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा एक आयुर्वेद विकास बोर्ड का गठन किया गया है। चालू वर्ष में आयुर्वेदिक कालिज के निर्माण के लिए 16.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैडीकल कालिज, रोहतक में निम्नलिखित 5 नये पाठ्यक्रयों को भामिल करने का प्रस्ताव है:—

1. एम.एस.सी. जीवरसायन
2. पी.एच.डी. औषधज्ञान एवं भारीर विज्ञान
3. एम.डी. मनोरेग विज्ञान
4. डी.एम. वृक्क शास्त्र
5. एम.सी.एच. मूत्रविज्ञान

जी.टी. रोड पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के ठीकार व्यक्तियों की तकलीफों को कम करने के लिए जी.टी. रोड के साथ-साथ राजकीय हस्पतालों के हतातहत विभागों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं जल सप्लाई

हरियाणा के 6731 गांवों में से 4180 गांव कमी वाली क्षेत्रों में पड़ते हैं। 'राष्ट्रीय जल सप्लाई सफाई कार्यक्रम' के अधीन 31 मार्च, 1978 तक 1046 गांवों को जल सप्लाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। न्यूनतम 'आवश्यकता कार्यक्रम' के अधीन वर्ष 1978-79 में 4.5 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा 'त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम' के अधीन भारत सरकार द्वारा 1.65 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1978-79 के दौरान 31 दिसम्बर, 1978 तक कमी वाले 55 गांवों को पीने के

पानी की सप्लाई सुविधाएं जुटाई गई हैं। आता है कि चालू वर्ष के अन्त तक 125 और गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। जल सप्लाई तथा वितरण केन्द्रों के भूदृश्य निर्माण तथा रमणीयकरण का भी प्रस्ताव है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 10.01 करोड़ रुपये की ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए परियोजना स्वीकृत हो चुकी है तथा चालू वर्ष में इस कार्यान्वित करना शुरू किया जा रहा है। 10.01 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 2.00 करोड़ रुपये वर्ष 1978-79 में तथा 2.50 करोड़ रुपये वर्ष 1979-80 में खर्च किए जाएंगे। भोशरा में दो अनुवर्ती वर्षों में खर्च की जाएगी। ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना में 5.30 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। वर्ष 1979-80 के दौरान लगभग 190 गांवों में नलों द्वारा जल सप्लाई करने की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में भाहरी जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के लिए 1.00 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। आता की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उपबन्धित राशि से वर्तमान जल सप्लाई तथा मल-व्यवस्था स्कीमों के आवर्धन के अतिरिक्त एक नगर को अतिरिक्त एक जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के आवर्धन के अतिरिक्त एक नगर को अतिरिक्त एक जल सप्लाई तथा दो नगरों को मल व्यवस्था सुविधाएं जुटाई जाएंगी। वर्ष 1979-80 में भाहरी

जल सप्लाई तथा मल व्यवस्था स्कीमों के लिए 1.20 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

आवास तथा भाहरी विकास

राज्य की जनसंख्या में वृद्धि से आवास की समस्या और अधिक विकट होती जा रही है। मकानों के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हरियाण आवास बोर्ड ने अब तक 5759 मकानों का निर्माण किया है तथा 4321 और मकानों का निर्माण भी विभिन्न अवस्थाओं में है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 50.00 लाख रुपये तथा वर्ष 1979-80 में 60.00 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे।

आवास बोर्ड मकानों के निर्माण के लिए कर्जे भी दे रहा है। चालू वर्ष के दौरान आरम्भ में 15.00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में जीवन बीमा निगम से इस स्कीम के अन्तर्गत वितरण करने हेतु धन उपलब्ध होने के बाद बढ़ा कर 60 लाख रुपये कर दिया गया और वर्ष 1979-80 के लिए, इस प्रयोजनार्थ 21.00 लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया जा रहा है जिसे जीवन बीमा निगम से उपलब्ध राशि तक बढ़ा दिया जायेगा। चालू वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण कर्जे के रूप में 1300.00

लाख रूपये की राशि वितरित की गई है और वर्ष 1979-80 के लिए 100.00 लाख रूपये की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

आवास बोर्ड हरियाणा ने फरीदाबाद में विभिन्न श्रेणियों के 1368 मकानों का निर्माण करने हेतु एक और स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर 155.64 लाख रूपये खर्च आने का अनुमान है। इस स्कीम के लिए आवास और भाहरी विकास निगम, नई दिल्ली 126.72 लाख रूपये का कर्ज देने के लिए सहमत हो गया है।

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग का उद्देश्य भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का सुगठित और सुव्यवस्थित विकास करना है। इस प्रयोजन के लिए विभाग विकास योजनाएं तैयार करता है और गैर सरकारी उपनिवेशों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है तथा भूमि के उचित उपयोग एवं भाहरी विकास के लिए सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है।

नगर सम्पदा विभाग भूमि का अभिग्रहण करता है और उसका सभी आधुनिक नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था सहित रिहायशी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विकास करता है। भूमि का विकास 1977 में स्थापित हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वित्त वर्ष में

5.00 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है और उसमें से 3.11 करोड़ रुपये उसके द्वारा पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण से खरीदे गए रिहाय गी प्लाटों के लिए अदायगी आमतौर पर छः कि तों की बजाय दस कि तों में करने की सुविधा दी गई है।

रोजगार

रोजगार केन्द्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि 5.1 प्रति ात थी जबकि अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार यह केवल 2.5 प्रति ात थी। 30 सितम्बर, 1977 तक 4.3 लाख व्यक्तियों की नियुक्ति के मुकाबले में 30 सितम्बर, 1978 तक हरियाणा में संगठित क्षेत्र में लगभग 4.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ जिससे 4.6 प्रति ात की वृद्धि हुई। वर्ष 1978 के दौरान हरियाणा के रोजगार केन्द्रों द्वारा 226000 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया और 36553 व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार प्रदान किया गया। हरियाणा में 1978-79 के अन्त तक रोजगार केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 43 हो जाने की सम्भावना है जबकि पिछले वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या 36 थी। भारीरिक रूप से विकलांग

व्यक्तियों के लिए चण्डीगढ़ में विशेष रोजगार केन्द्र की स्थापना की गई है।

चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी देने वाली नौकरियां प्रदान करना संभव नहीं है इसलिए विभाग ने लोगों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने का कार्य हाथ में लिया है। 1978 में विभाग 478 व्यक्तियों को स्वतः रोजगार दिलाने में सफल हुआ। वर्ष 1978-79 के लिए 8 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जातियों/कबीलों के लिए चण्डीगढ़ में एक विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित किया जायेगा। चालू वित्त वर्ष में पांच और ग्राम रोजगार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। महर्षि दयानन्द विविद्यालय, रोहतक में हाल ही में एक विविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो स्थापित किया गया है। वर्ष 1979-80 के लिए योजना परिव्यय 8.94 लाख रुपये है।

बेरोजगारी की समस्या

विशेषतः शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या सदैव राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है। 31 दिसम्बर, 1978 को राज्य में 2.90 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। इस संख्या में रोजगार केन्द्रों में दर्ज 1.46 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भी शामिल है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए

सरकार ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण उद्योगीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दस हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के निवेश वाले लघु/छोटे उद्योग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा। सरकार ऐसे यूनिट स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन तथा अन्य आवश्यक साधान प्रदान करेगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिए 'कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम' शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी अनाज के रूप में दी जायेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसर जुटाने वाली श्रम-प्रधान परियोजनाओं/स्कीमों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इसके इलावा, अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन के लिए मंडियों, ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों, सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई, कृषि विस्तार एवं गोदामों के निर्माण के विकास संबंधी विविध बैंक परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेगी। अनुमान है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 5.12 लाख लोगों के लिए पूर्णकालिक रोजगार के सीधे अवसर जुटाये जाएंगे।

श्रम कल्याण

वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य में कुछ औद्योगिक उपक्रमों में हड़तालों/तालाबन्दियों के कारण औद्योगिक सम्बन्धों में कुछ गड़बड़ी रही। कामगारों के विवादों को निपटाने तथा सामान्य स्थिति लाने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य में व्याप्त समूची स्थिति में अब स्पष्ट सुधार हुआ है, प्रमाणपत्र देने वाले सर्जन ने जिसे सामूहिक सूक्ष्म ऐक्स-रे उपकरण तथा प्रयोगशाला दी गई है, 5439 कामगारों का मैडिकल परीक्षण किया और व्यावसायिक तथा अन्य रोगों के 8 कैसों का पता लगाया। कुछ अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी को न्यूनतम दरों में संशोधन कर दिया गया है और चालू वित्त वर्ष के दौरान भोश महत्वपूर्ण अनुसूचित रोजगारों में अधिकांश में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। महिला कामगारों के लाभ के लिए, विभाग राज्य के औद्योगिक नगरों में और अधिक शिशु गृहों की व्यवस्था कर रहा है।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

हरियाणा सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देती है। उनके आर्थिक उत्थान और भौक्षणिक उन्नति के लिए विभिन्न स्कीमों में भुर्गु की गई है। उनमें उल्लेखनीय स्कीमों ये हैं:

छात्रवृत्तियां देना, शिक्षण भुल्क की प्रतिपूर्ति, कृषि भूमि की खरीद के लिए कर्जे देना, औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां देना, मकानों, पेय जल, कुओं और चौपालों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना। वर्ष 1978-79 के दौरान विभिन्न कल्याण स्कीमों पर 38 लाख रुपये खर्च किये जाने की संभावना है। हरिजनों के लिए चौपालें बनाने हेतु 5000 रुपये से 10000 रुपये प्रति चौपाल की दर से अनुदान के रूप में एक करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की साक्षरता और भौक्षणिक स्तर में सुधार के विचार से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी में विशेष शिक्षण देने के लिए 1979-80 की योजना अवधि के दौरान एक नयी स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान, व्यावसायिक तथा रोजगार सम्बन्धी मार्गदर्शन देना, भूमि सम्बन्धी विवादों के निपटान के लिए एक कक्ष की स्थापना करना, कुछ अन्य नयी स्कीमें हैं जो वर्ष 1979-80 में क्रियान्वित की जाएंगी। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण पर वर्ष 1979-80 में केन्द्र चालित स्कीमों पर खर्च किए जाने वाले 7.43 लाख रुपये के अतिरिक्त 163.05 लाख रुपये की राशि और खर्च किए जाने की संभावना है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 9-2-79 से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

कार्यक्रम सहित विभिन्न समाज कल्याण स्कीमों के लिए 401.56 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है। 'पोषण' के अधीन 69 लाख रुपये की राशि नियत की गई है जिसमें से 30 लाख रुपये वार्षिक योजना 1979-80 के लिए प्रस्तावित है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दायक के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग को महिलाओं तथा बच्चों की मांगें पूरी करने के लिए पुनर्गठित तथा पुनरभिस्थापित किया जायेगा। बाल विकास की विस्तृत स्कीमें शुरू की जायेंगी। राज्य सरकार ने हरियाणा बाल कोश नाम से एक कोश स्थापित किया है जिससे जरूरतमन्द बच्चों की सहायता की जायेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की परिगामी निधि स्थापित की जायेगी। इस निधि में राज्य सरकार का अंश 5 करोड़ रुपये होगा और बाकी 5 करोड़ रुपये जनता द्वारा अंशदान के रूप में दिये जाएंगे।

'धात्री-सेवा स्कीम' के अन्तर्गत लगभग 90 अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल की जा रही है। विगत बाल वर्ष में इस स्कीम से लगभग 100 और बच्चों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

भाहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के कुपोषण की समस्या कम करने के लिए 19 भाहरों में एक विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य में भिखावृत्ति की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए पानीपत में भिखारियों के लिए एक प्रमाणित संस्थान खोला गया है।

वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत 7729 पुरुष तथा महिलाएं 50 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से पेन्शन प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम से 8000 पेन्शनरों को लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये की राशि रखी गई है।

कर वसूली एवं व्यापारियों की समस्याएं

बाढ़ों, श्रमिक वर्ग में अस्थिरता तथा कृषि उत्पादन के परिणामस्वरूप राज्य की अर्थ व्यवस्था में जो हास आ गया था उसमें सुधार के चिन्ह दिखाई देते हैं। अप्रैल, 1978 में विभाग की राजस्व वसूली अप्रैल 1977 की वसूलियों से 7.75 प्रतिशत कम थी। परन्तु दिसम्बर 1978 तक की वसूलियां गत वर्ष की उसी अवधि की वसूलियों की तुलना में 8.65 प्रतिशत बढ़ गईं। दिसम्बर 1977 तक हुई 81.92 करोड़ रुपये की वसूली के मुकाबले मैं अप्रैल से दिसम्बर 1978 तक 89 करोड़ रुपये की वसूली हुई। वर्ष 1978-79 के दौरान अनुमानित राजस्व की वसूली गत वर्ष की वास्तविक वसूली के 119.62 करोड़ रुपये के मुकाबले में 128.05 करोड़ रुपये होगी। यह उल्लेखनीय है कि राज्य में न्यायबन्दी की नीति क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व में (अनुमानित 5.84 करोड़ रुपये) हानि होने पर भी 8.44 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है। वर्ष 1979-80 में राजस्व वसूलियों का बजट अनुमान 138.06 करोड़ रुपये है। वर्ष

1979-80 के दौरान आबकारी राजस्व 2.00 करोड़ रुपये तक ओर कम हो जाने की सम्भावना है।

सरकार व्यापार तथा उद्योग की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और उनका समाधान करने के लिए वर्तमान कराधान कानूनों में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। कर-प्रणाली को सुगम और युक्तियुक्त बनाने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए विक्रय कर संरचना पुनर्विलोक समिति बनाई जा चुकी है।

सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रथम यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य व्यापारियों की करयोग्य प्रमात्रा को बढ़ाकर 40000 रुपये से 1 लाख रुपये तक, विनिमयियों की 10000 रुपये से 25000 रुपये तक ढाबों, होटलों, तन्दूरों, लोहों, हलवाइयों, बेकरियों तथा इसी तरह की अन्य ऐसी स्थापनाओं की, जहां कि भारतीय भोजन तथा चाय दी जाती है, 25000 रुपये से 40000 रुपये तक कर दिया जाए। कर देय प्रमात्रा में इस वृद्धि से लगभग एक हजार छोटे व्यापारियों को, जो इस समय हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत हैं, पंजीकरण तथा लेखों इत्यादि के संधारण आदि से राहत प्राप्त होगी। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप बहुत से नए करदाताओं को भी राहता मिलेगी, जो अन्यथा पंजीकरणीय हो जाते यदि करयोग्य प्रमात्रा को वर्तमान सीमा तक ही बने रहने

दिया जाता। निःसन्देह इस सिफारिश की स्वीकृति के परिणामस्वरूप राजस्व में लगभग 14 लाख रुपये वार्षिक की हानि होगी। दूसरे, अनिश्चितता के परिणामस्वरूप व्यापारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बिक्री कर निर्धारण मामलों को भीघ्र निपटा दिया जाए। वर्तमान समय में हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को धारा 28 के अन्तर्गत एक निर्धारण प्राधिकारी की विवरणी की अवधि की समाप्ति के पांच वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर निर्धारण के लिए केवल एक नोटिस जारी करना होता है। इसके पश्चात् इन केसों के निपटान के लिए समय की कोई पाबन्दी नहीं है। पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा बिक्री कर के मामलों के भीघ्र निर्धारण की मांग संबंधी व्यापार तथा उद्योग की कठिनाइयों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्धारण सम्बन्धी सभी मामले तीन वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर अवश्य ही मुकम्मल कर लिए जाएं। इस उपाय से, अनिश्चितता को समाप्त करने तथा कर निर्धारण कार्यवाही को संक्षिप्त करने से कर अदा करने वालों को बहुत राहत मिलेगी।

न पाबन्दी

क्रमिक रूप से चार वर्षों की अवधि के अन्दर अन्दर राज्य में पूर्णतया न गाबन्दी लागू करना सरकार की घोषित नीति है। जिला गुडगांव में तौडू के आस पास 144 गांवों में तथा सिरसा जिला में चौटाला के आसपास 8 मील के घेरे में पूर्णतया न गाबन्दी लागू की गई थी। वर्ष के दौरान देसी भाराब अथवा भारत में तैयार की गई विदे पी भाराब के लिए कोई भी नया लाइसेन्स नहीं दिया गया है। वर्ष 1978-79 के लिए देसी भाराब का कोटा 58 लाख पूफ लिटर से कम करके 46.40 लाख पूफ लिटर कर दिया गया है। न गाबन्दी कार्यक्रम के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में देसी भाराब के कोटे में 20 प्रतिशत की काटौती करने का प्रस्ताव है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि देसी भाराब के ठेकों को बन्द करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा पारित समस्त 125 प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार करके लागू कर दिये गये हैं। वर्ष 1978-79 में न गाबन्दी के दिनों की संख्या 15 से बढ़ाकर 79 कर दी गई है। सदन को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि निम्नलिखित और कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। (i) विदे पी भाराब की दुकानों की संख्या 1-4-79 से 40 प्रतिशत तक कम कर दी जायेगी और उनके ठेके भी नियत लाइसेन्स फीस पर अलॉट किए जाने की अपेक्षा नीलाम किए जायेंगे, (ii) भाराब पीने की बुराई से लोगों को रोकने के लिए तथा न गाबन्दी का प्रचार करने के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों की उच्चस्तरीय राज्य समिति बनाई जाएगी। राज्य का लोक सम्पर्क विभाग इसके लिए अपना पूर्ण सहयोग देना, (iii) नगरपालिका

सीमाओं के अन्तर्गत भी मुख्य सड़कों पर भाराब के टेकों की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

भाराब की बिक्री में धीरे धीरे कमी आ जाने से राजस्व की हानि बढ़ती जायेगी। वर्ष 1978-79 में इससे 5.84 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है। इस हानि के कम से कम 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है।

सरकारी कर्मचारी

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति उल्लेखनीय सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा अनुशासन का प्रदर्शन किया। पिछले दो वर्षों के दौरान विना शर्तकारी बाढ़ों में जिस लगन से इन कर्मचारियों ने काम किया वह सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1978-79 के दौरान सरकार कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथा दूरव्यापी निर्णय लिए गए हैं। प्रथमतः सभी वर्गों के कर्मचारियों के विभिन्न वेतनमानों, मंहगाई भत्तों, तथा पेन्शन सहित अन्य प्रतिकर रियायतों और लाभों के वर्तमान ढांचे का विस्तृत पुनरीक्षण करने के लिए वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे, हरियाणा सरकार के उन सभी कर्मचारियों को 15 रुपये से 35 रुपये के बीच प्रति मास के हिसाब से तदर्थ राहत दिये जाने का फैसला किया गया है जो

पहली जनवरी, 1973 को सेवानिवृत्त हुए थे। यह राहत 1-3-1977 से दी गई है। बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि पेन्शनरों को उनकी पेन्शन की 5 प्रतिशत की दर के हिसाब से क्रम 1: 1-4-1979 तथा 1-9-1979 से कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये प्रतिमास की दो और राहतें दी जाएं। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अंदर पेन्शन को परिवर्तित कराने के लिए आवेदन करने वाले पेन्शनरों के लगभग सभी वर्गों को चिकित्सा परीक्षण कराने से छूट दी गई है। तीसरे, सरकार द्वारा निम्नलिखित पुरानी अथवा आग्रहपूर्ण मांगें मान ली गई हैं और न्याय प्रदान किया गया है:—

(क) लोक निर्माण विभाग की विभिन्न भाखाओं के लगभग 25000 कार्यप्रभारी कामगारों के वेतनमानों को, जिन्हें 1962 से संशोधित नहीं किया गया था, संशोधित कर दिया गया है। राज्य में चतुर्थ श्रेणी के कामगारों में सबसे अधिक निर्धन कामगारों को प्रति वर्ष 24 लाख रुपये का लाभ होगा। यह खेद की बात है कि कांग्रेस भासन के दौरान इनकी ज्यादातर उचित मांगों को पूरा करने में किसी न किसी बहाने से दूरी की जाती रही।

(ख) सिविल पब्लिक चिकित्सकों के वेतनमानों में किये गये पक्षपात को समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य के पब्लिक चिकित्सकों को 111900 रुपये का लाभ होगा।

(ग) कालिज के भारीरिक व्यायाम प्रि ाक्षकों / पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों की सिफारि ा वि वविद्यालय अनुदान आयोग की इच्छा अनुसार कर दी गई है जिसके लिये राजकोश से लगभग 2 लाख रूपये का खर्च होगा।

(घ) राज्य के कृशि विकास अधिकारियों ने पंजाब तथा हिमाचल के कृशि विकास अधिकारियों के समान ही नहीं बल्कि उनसे बेहतर कार्य किया है। किन्तु उनके वेतनमान बहुत कम थे। इसकी वजह से उनमें भारी मनस्ताप हुआ। इस अन्याय को हाल ही में दूर कर दिया गया है। उन्हें प्रति वर्ष 16 लाख रूपये तक का लाभ होगा।

(ङ) तहसील तथा जिला कल्याण अधिकारियों के वेतनमान भी सं ाोधित कर दिये गये हैं।

(च) पुलिस कर्मचारियों के वस्त्रों के लिए 165388 रूपये तक का वार्षिक भता बढ़ा दिया गया है। उन्हें वर्ष 1968 में प्रचलित दरों पर ये वस्तुएं प्राप्त होती थीं जबकि उस समय से कीमतों में बहुत ही वृद्धि हो चुकी है।

बाढ़ राहत

बाढ़ों ने राज्य के वि ाल क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान बहुत तबाही की। इन बाढ़ों का 1156288 लोगों और

707444 हैक्टियर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। इस विपदा में लोगों की सहायता करने के लिए हरियाणा सरकार ने रासायनिक खाद तकाबी, बीज तकावी, भवन मरम्मत अनुदानों, बीज उपदान, दवाइयों, पेय जल की सप्लाई, दूध का पाउडर वस्त्र तथा कम्बलों आदि के रूप में सहायता प्रदान की। इस सहायता क अतिरिक्त बैंकों को भी निर्देश दिये गये कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए ब्याज की रियायती दर पर कर्जे दिये जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाने के लिए हरियाणा राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम नामक केन्द्र चालित योजना भी भुरु की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 20000 टन के कुल आबंटन के मुकाबले में 7000 टन गेहूं पहले ही दिया जा चुका है। वर्ष 1979-80 के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से 100000 टन गेहूं के आबंटन के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष में 2500 टन गेहूं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त राहत के तौर पर बांटा गया। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किए जाने के लिए 34000 बच्चों के लिए वस्त्र तथा 44000 सूती कम्बल दिए। वर्ष 1978-79 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुननिर्माण के लिए बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों द्वारा कर्जा लेने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में निष्पादित बन्धक पत्रों और करारनामों के दस्तावेजों के संबंध में

भारतीय स्टाम्प अधिनियम और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा छोड़ दी गई है।

लोक सम्पर्क

लोक सम्पर्क विभाग सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह लोगों को सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से अवगत कराता है। विभाग लोगों के विभिन्न विचारों से सरकार को सूचित रखता है। प्रचार के उद्दे य से राज्य की विकासात्मक गतिविधियों से लोगों को अवगत कराने हेतु विभाग विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों, जैसे— प्रैस, श्रव्य—दृ य साधन, सार्वजनिक बैठकों, आका वाणी प्रसार, प्रका ानों, कवि सम्मेलनों तथा नाटकों का प्रयोग करता है।

हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। हरियाणा सरकार के मान्य संवाददाता अब सरकारी कर्मचारियों पर लागू दरों पर सरकारी विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। वे एक वर्ष में 2000 किलोमीटर की दूरी तक हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना किराये के यात्रा करने की सुविधा के लिए भी हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, मान्य संवाददाता जिला तथा उपमंडल स्तरों की िकायत समिति के सदस्यों के तौर पर नामित भी किये जा सकेंगे।

अनुमानित घाटे को पूरा करने के उपाय

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उपर्युक्त पैराग्राफों में राज्य की वर्तमान सामान्य वित्तीय स्थिति, वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान तथा विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण चालू तथा प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों का विवरण दिया है। वर्तमान सरकार के पास वर्ष 1977-78 के लिए 148 करोड़ रुपये की पहले ही अनुमोदित वार्षिक आयोजना थी जिसमें वह पर्याप्त राशि भी शामिल है जो सतलुज यमुना योजक नहर के पंजाब भाग पर खर्च की जानी थी। इस सरकार को अभूतपूर्व बाढ़ों से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा फिर भी, जैसा कि इस अभिभाषण के आरम्भ में संकेत किया गया है, हमने 148.40 करोड़ रुपये खर्च किए। इससे अपने लोगों की भलाई के लिए विकासात्मक स्कीमों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी हमारा दृढ़ निश्चय तथा क्षमता स्पष्ट लक्षित होती है। चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान आयोजना परिव्यय 212.06 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के अंतिम आयोजना परिव्यय से 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान सरकार द्वारा इन विकासात्मक खर्चों में लाई गई अधिक प्रतिशतता हमारे राज्य के इतिहास में अपूर्व है। हमने अपनी उपलब्धियों को समेकित करना है और वास्तव में हमने विकास की गति को आगे बढ़ाना है। आगामी वर्ष का 227.30 करोड़ रुपये का अनुमोदित आयोजना परिव्यय हमारे उद्देश्यों के

प्रति हमारे दृढ़ संकल्प तथा समर्पण का स्पष्ट सूचक है। परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें वर्ष 1979-80 के अनुमान अनुसार 22.84 करोड़ रुपये की बजट सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी एवं ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य तथा हरियाणा के लोग विकास हेतु स्त्रोंतो की आवश्यकता को पूरी तरह समझेंगे तथा इन्हें जुटाने में सरकार को अपना सहयोग देंगे।

मैं आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से 1979-80 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाने के पश्चात् होने वाले महत्वपूर्ण विकास का भी उल्लेख करता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है राष्ट्रीय विकास परिषद् ने कुछ केन्द्रीय सैक्टरों तथा केन्द्र चालित आयोजनागत स्कीमों को छोड़ने और कुछ अन्य स्कीमों राज्य आयोजना को अन्तर्गत करने का प्रस्ताव किया है जबकि केन्द्रीय सैक्टर में कुछ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राज्यीय महत्व वाली कुछ स्कीमों को अभी भी रखा गया है। केन्द्रीय सैक्टर और केन्द्र चालित स्कीमों को छोड़ने या अन्तर्गत करने के परिणामस्वरूप 2000 करोड़ रुपये की राशि वर्तमान गैडगिल फार्मूला के अनुसार नहीं अपितु 'आय समंजित कुल जनसंख्या' पर आधारित नये फार्मूला के अनुसार 'फार्मूला राज्यों' में आबंटित की जाएगी। हम समझते हैं कि जहां हमें उन स्कीमों, जिनका पहले पूर्णतया अथवा अंशतः केन्द्रीय सरकार वित्त पोषण करती थी, राज्य निधियों में से निरन्तर क्रियान्वित करना

पड़ेगा, वहां 2000 करोड़ रुपये के नये निर्मित पूल में हमारा हिस्सा आगामी चार वर्षों में 50 करोड़ रुपये से घट कर 25 करोड़ रुपये रह जायेगा। इससे केन्द्रीय सरकार से हमें अन्यथा उपलब्ध होने वाले स्रोतों में 6 करोड़ रुपये वार्षिक कमी होती है। स्कीमें ऐसी है कि हम इन्हें बन्द भी नहीं कर सकते अतः हमने इन्हें पहले ही बजट में भामिल कर लिया है परन्तु हमें 6 करोड़ रुपये के वार्षिक घाटे को अंततः अपने प्रयत्नों और अंततः योजना आयोग को अपने विवेकाधीन अनुदान में से अधिक राशि देने पर सहमत करके पूरा करना होगा।

प्रत्याशित बजट घाटे के कम से कम पर्याप्त भाग को पूरा करने के लिए मैं निम्नलिखित नये करों का प्रस्ताव रखता हूँ:-

(i) हलवाई की दुकान चलाने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक कर देय राशि 40000 रुपये से अधिक है, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कर अदा करना होगा। इस उपाय से उन सामान्य हलवाईयों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो केवल आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस उपाय से प्रति वर्ष 49 लाख रुपये की आय होने की संभावना है। (गोर एवं विघ्न)

(ii) दूध के क्रय मूल्य पर कर लगाने का प्रस्ताव है जबकि इस दूध का प्रयोग दूध उत्पाद बनाने के लिए किया जाए

और ऐसे उत्पाद बनाने वालों द्वारा राज्य से बाहर स्थित अपनी भाखाओं अथवा कार्यालयों में अथवा राज्य से बाहर पारेण आधार पर बिक्री के लिए भेजे जाएं। इस उपाय से राज्य में दूध अथवा दूध उत्पादों के उपभोग पर किसी प्रकार का प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है परन्तु इससे प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख रूपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

(iii) अप्रैल, 1976 में बसों के किरायों की पिछली वृद्धि के पचात् हरियाणा परिवहन की परिचालन लागत में ईंधन, तेल, स्नेहक, टायरों एवं ट्यूबों और पुंजों के मूल्यों में वृद्धि के कारण और अन्य बातों के साथ-साथ 1976-78 के दौरान कर्मचारियों को राहत की छ: कि तें देने के फलस्वरूप मजदूरी बिल में बढ़ौतरी हो जाने के कारण पहले ही काफी वृद्धि हो चुकी थी। आगामी वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट के पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में बढ़ाये गये उत्पाद भुल्क से परिचालन लागत और बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में यह आव यक है कि परिचालन की बढ़ी हुर्ट लागत को पूरा किया जाये तथा कम से कम सीमांत अधि ेश जुटाया जाये ताकि राज्य परिवहन विभाग जनता को निरन्तर कु ाल सेवाएं प्रदान करता रहे। अत: बस किराये में समान आधार पर 12.5 प्रति ात की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस उपास से 3.40 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होने की संभावना है।
(गोर एवं विघ्न)

(iv) अभिहस्तांतरण पत्रों, बन्धक पत्रों तथा पंजीकरणीय प्रलेखों पर लगाया जाने वाला वर्तमान स्टाम्प भुल्क तथा पंजीकरण भुल्क समान आधार पर 25 प्रति शत बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे 2.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होने की संभावना है।

(v) सूती धागे पर बिक्री कर की दर 1 प्रति शत से बढ़ा कर 2 प्रति शत करने का निर्णय लिया गया है ताकि इसे पड़ोसी राज्यों में लागू करके बराबर किया जा सके। इससे 9 लाख रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय होगी।

(vi) 6.25 एकड़ तक की जोतों को खरीफ 1978 से भूमि कर की अदायगी से छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार की वार्षिक आय में प्रायः लगभग 1.40 करोड़ रुपये की कमी हुई है। यह न्यायोचित ही होगा कि बड़े तथा अपेक्षाकृत सम्पन्न किसान राजस्व में हुई उस क्षति को कम से कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त आंशिक आदान दें जोकि उनके उन किसान भाइयों को राहत देने के कारण हुई है जिनके पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं। इस प्रकार 6.25 एकड़ से अधिक सभी जोतों पर समान रूप से 33.5 प्रति शत की दर से अधिभार लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस उपाय से प्रतिवर्ष 1.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

(इस समय प्रतिपक्ष के सदस्यण सर्वश्री राव बीरेन्द्र सिंह, भाम ार सिंह, सुरजेवाला, राव दलीप सिंह, बीरेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, जगजीत सिंह पोहलू, इन्द्रजीत सिंह, नारायण सिंह और मांगेराम गुप्ता बजट को किसान विरोधी बताते हुए सदन से वाक-आउट कर गये)

(vii) सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च निरन्तर बढ़ता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के रख-रखाव का खर्च बहुत बढ़ा है। कुल मिलाकर सिंचाई परियोजनाएं घाटे में चल रही हैं। क्योंकि आबयाने और अन्य प्राप्तियों से हुई कुल आमदनी से इन परियोजनाओं पर हुई भारी निवे ां तथा परिचालन खर्चों का ब्याज भी पूरा नहीं होता। बे ाक 1975-76 में खु ाहाली कर खत्म करने के साथ-साथ आबयाना बढ़ाया गया था, किन्तु सिंचाई परियोजनाओं से हुए निवल वित्तीय लाभों में कोई वि ाेश सुधार नहीं हुआ। इस तरह राज्य के आर्थिक विकास, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ केवल सिंचाई सैक्टर के लिए कुल योजना के लगभग 60 प्रति ात का परिव्यय रखा गया है, के साधनों को जुटाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इन परियोजनाओं से अब तक हो रही आमदनी की तुलना में ज्यादा आमदनी होनी चाहिए। अतः खरीफ 1979 से आबयाने पर एक समान आधार पर 10 प्रति ात को दर से अधिभार लगाए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा करने से वर्ष

1979-80 के दौरान 40 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आशा है।

(viii) पंजाब लघु खनिज रियायत (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियमावली, 1967 के अधीन इसकी पहली अनुसूची में शामिल सभी लघु खनिजों पर लगाई जाने वाली रायल्टी की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, परन्तु गैर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आने वाली ईंटें बनाने की मिट्टी, साधारण चिकनी मिट्टी तथा साधारण मिट्टी पर लगाई जाने वाली रायल्टी की दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस उपाय से 50 लाख रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। (गोर एवं विघ्न)

(viii) सीमेंट पर बिक्री कर को 7 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से प्रति वर्ष लगभग 35 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। (गोर एवं विघ्न)

..... में आने के बाद जनता सरकार ने खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उपज को वहां से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटाकर निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। परन्तु संघ क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री कर तथा मार्केट फीस की दरें बहुत कम होने के कारण बिक्री कर तथा मार्केट फीस की चोरी के परिणामस्वरूप हमारे राज्य को इनकी बहुत हानि होती थी। हरियाणा की पड़ोसी

मण्डियों में भी व्यापार पर भारी असर पड़ा। उतर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दिल्ली प्रशासन को बार-बार इस बात के लिए मनाने की कोशिश की गई कि वह बिक्री कर तथा मार्केट फीस की दरों को अपने पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दें। फिर भी दिल्ली प्रशासन अपनी जिद पद अड़ा हुआ है क्योंकि ऐसा करने से दिल्ली के व्यापार को बहुत ही अनुचित लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय की 'उत्थिति' कुप्रथा चल पड़ी है।

चिरकाल से हरियाणा के सम्मुख करों की चोरी एक अन्य समस्या थी। अनेक उद्योगपतियों ने जिनके उद्योग हरियाणा में हैं, अपने मुख्य कार्यालय हरियाणा से बाहर विशेषतः दिल्ली में रखे हुए हैं। उनकी फैक्टरियां हरियाणा में वस्तुओं का उत्पादन करती थी परन्तु उनकी वस्तुओं की बिक्री यहां नहीं दिखायी जाती थी। ये वस्तुएं दिल्ली को अन्तरित कर दी जाती थी और अब भी कर दी जाती है तथा वहां बेच दी जाती है क्योंकि दिल्ली में केन्द्रीय बिक्री कर की दर भी बहुत कम है। इस प्रकार हरियाणा को प्रतिवर्ष केन्द्रीय बिक्री कर की करोड़ों रुपये की हानि होती है और आय कर में राज्य के हिस्से में होने वाली कमी इसके अतिरिक्त है। बार-बार किये गये प्रयासों के बावजूद ये उद्योगपति अपने कार्यालय हरियाणा में नहीं लाये हैं।

इस खतरनाक स्थिति के उपचार के लिए यह प्रस्ताव है कि हरियाणा में विनिर्मित तथा सड़क द्वारा इसकी सीमाओं से बाहर ढोयी जाने वाली कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर एक नया कर

लगाया जाये। यह कर ढोयी गयी वस्तुओं के न केवल भार के आधार पर बल्कि उनके मूल्य अथवा भार आयतन के आधार पर भी प्रभार्य होगा तथा यह पंजाब यात्री तथा माल कर अधिनियम 1952 (जो हरियाणा में लागू है) के उपबन्धों के अधीन आजकल प्रभार्य माल कर के अतिरिक्त होगा। यह कर पहले से स्थापित सीमा चौकियों पर केवल तभी प्रभार्य होगा। जब हरियाणा में विनिर्मित वस्तुएं हमारी सीमाओं को पार करेंगी। इस सम्माननीय सदन में बाद में प्रस्तुत किये जाने वाले इस नये उपाय से हरियाणा राज्य के अन्दर माल ढोने वाले परिवहक प्रभावित नहीं होंगे। आ ता है कि इस उपाय से पहले बताये गये कारणों से सोनीपत, बहादुरगढ़ तथा सांपला की सीमावर्ती मंडियां से खाद्यान्नों का व्यापार बाहर जाने से रूक जायेगा। इसके अतिरिक्त इस उपाय से राज्य को पर्याप्त अतिरिक्त आय होगी।

मैं हरियाणा के सभी परिवहकों, व्यापारियों तथा सामान्य जनता से अपील करूंगा कि इस नये उपाय को लागू करने में हमें सहयोग दें। इसकी सफलता के बाद हरियाणा राज्य कुछ अन्य करों के प्रभाव क्षेत्र को घटा सकेगा।

उपर्युक्त प्रस्तावित उपायों से वर्ष 1979-80 के दौरान 10.08 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। फिर भी 12.90 करोड़ रुपये का घाटा रह जाएगा, जिसमें बिक्री करदाताओं को दी गई 14 लाख रुपये की रहात भी शामिल है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। तथापि, यह घाटा उतना कम हो जाएगा

जितनी आय हमें पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विस्तारपूर्वक दिए गए नए उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हो सकेंगी।

माननीय सदस्य इस बात को भली-भांति समझ सकेंगे कि वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान मुख्यतः किसानों तथा गरीब जनता के कल्याण के लिए विकास संभावनाओं की गति तेज करने के विचार से बनाए गए हैं। मैं इस गरिमायुक्त सदन को विवास दिलाता हूँ कि इस परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जाएंगे। प्रशासन के स्तर में सुधार लाने और अपव्यय रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में इस सरकार को माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सहायता तथा सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्य अभी दूर है। सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय से पीड़ित जनता सहायता के लिए पुकार रही है। लगातार बेरोजगारी के परिणामस्वरूप युवावर्ग अशांत हो रहा है। ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। किन्तु इस सरकार ने इन चुनौतियों को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है। लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट द्वारा नहीं दिशा में अग्रसर होने का प्रयास कर रही है।

आभार प्रदर्शन

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उन द्वारा किये गये परिश्रम की सराहना करता हूँ जिसके कारण मैं निश्चित तिथि पर बजट अनुमानों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सका हूँ। मैं महालेखाकार, हरियाणा के प्रति भी उन द्वारा दी गई अमूल्य सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बजट के मुद्रण से सहयोग देने के लिए मैं चण्डीगढ़ प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं 1979-80 के बजट अनुमान माननीय सदस्यों के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ। जय हिन्द (तालियाँ)

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 8th of March, 1979.

11.53 Hours

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 8th March, 1979)